19

लोक लेखा समिति - प्रकाशन संख्या - 374

जल संसाधन विभाग

राजस्व प्राप्तियाँ & Civil ऑडिट

सत्यमेव जयते

बिहार विधान सभा

लोक लेखा समिति

का

प्रतिवेदन संख्या - 365

जल संसाधन विभाग से संबंधित भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1991-92 (रा० प्रा० एवं सिविल) की कंडिकाओं पर लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन ।

उपास्थापन की तिथि ...../

विषय-सूची

क्रमांक		पृष्ठ संख्या
1.	लोक लेखा समिति वर्ष 2001-2002	1 - 2
2.	महालेखाकार, वित्त विभाग कार्यालय एवं बिहार विधान सभा सचिवालय	3
3.	प्राक्कथन	4
4.	प्रतिवेदन एवं अनुशंसाएँ	5 - 25
5.	परिशिष्ट	26-43

बिहार विधान सभा सचिवालय

लोक लेखा समिति, वर्ष : 2001 - 2002

सभापति :

1.	श्री रामदेव वर्मा,	स०वि०स०

सदस्यगण :

2.	श्री मुनेश्वर चौधरी,	स०वि०स०
3.	श्री रामचन्द्र राय,	स०वि०स०
4.	श्री यदुवंश कुमार यादव,	स०वि०स०
5.	श्री शोभाकांत मंडल,	स०वि०स०
6.	श्री गिरिधारी मंडल,	स०वि०स०
7.	श्री मुनीलाल यादव,	स०वि०स०
8.	श्री प्रेम कुमार,	स०वि०स०
9.	श्री राम नारायण मंडल,	स०वि०स०
10.	श्री प्रभू दयाल सिंह,	स०वि०स०
11.	श्री हरि नारायण सिंह,	स०वि०स०
12.	श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,	स०वि०स०
13.	श्री रामनाथ ठाकुर,	स०वि०स०
14.	श्री चण्डी प्रसाद,	स०वि०स०
15.	श्री बालदेव महतो,	स०वि०स०
16.	प्रो० नवल किशोर यादव,	स०वि०स०
17.	श्री वालेश्वर सिंह भारती,	स०वि०स०
18.	डा० मु० शमीम,	स०वि०स०

लोक लेखा समिति की उप समिति (2) के सदस्यगण :

सभापति :

1. श्री रामदेव वर्मा, स०वि०स०

संयोजक:

2. श्री मुनेश्वर चौधरी, स०वि०स०

सदस्यगण :

3. श्री रामचन्द्र राय, स०वि०स०
4. श्री राम नाथ ठाकुर, स०वि०स०
5. श्री मुनी लाल यादव, स०वि०स०
6. डा० मो० शमीम, स०वि०स०

महालेखाकार कार्यालय

1. श्री एफ० कुजूर, प्रधान महालेखाकार, बिहार एवं झारखंड, राँची ।
2. श्री वीरेन्द्र कुमार, महालेखाकार (लेखा परीक्षा) - 1, बिहार एवं झारखंड, पटना ।
3. श्री मान सिंह, उप महालेखाकार, पटना ।
4. श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह, वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी, पटना ।
5. श्री ओम प्रकाश सिंह, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, पटना ।
6. श्री केदार नाथ प्रसाद सिन्हा, वरीय लेखा परीक्षक, पटना ।
7. श्री चन्द्रनाथ मिश्र, वरीय लेखा परीक्षक, पटना ।
8. श्री ललित शंकर मिश्र, वरीय लेखा परीक्षक, पटना ।

वित्त विभाग

1. श्री एम० एन० प्रसाद, वित्त आयुक्त, बिहार, पटना ।
2. श्री एस० के० केशव, अपर वित्त आयुक्त, बिहार, पटना ।
3. श्री बैद्यनाथ मिश्र, अपर सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना ।
4. श्री फुलेश्वर पासवान, बजट पदाधिकारी सह उप-सचिव ।

बिहार विधान-सभा सचिवालय

1. श्री जे० पी० पाल, सचिव ।
2. श्री ब्रज किशोर सिंह प्रभात, उपसचिव ।
3. श्री राधाकृष्ण रजक, अवर सचिव ।
4. श्री त्रिपुरारी प्रसाद, अवर सचिव ।
5. श्री जगदेव पासवान, प्रशासी अधिकारी ।
6. श्री नन्द किशोर प्रसाद सिंह, प्रशाखा पदाधिकारी ।
7. श्री टेक नारायण झा, प्रशाखा पदाधिकारी ।
8. श्री शिवपुजन प्रसाद, प्रशाखा पदाधिकारी ।
9. श्री बेचन मंडल, प्रधान टंकक ।

प्राक्कथन

जनतांत्रिक संस्थाओं की बजटरी प्रावधानों एवं उसके कार्यान्वयन पर उसकी कड़ी पकड़ ही जनतांत्रिक व्यवस्था का सार तत्व है। आजादी के बाद भारत में जनतांत्रिक संस्थाओं का नेतृत्व वैसे लोगों के हाथों में हस्तगत् हुआ जो आजादी के दरम्यान नि:स्वार्थ एवं त्याग की भावनाओं से प्रेरित तथ्यों के बीच तपे-तपाये हुये थे। आजादी के लम्बे अर्से तक देश में जनतांत्रिक संस्थाओं का नेतृत्व उनके रहने के कारण एक हद तक नौकरशाही पर अंकुश था। देश की जनतांत्रिक का नेतृत्व करने वालों की पकड़ नौकरशाही पर ढीली होती गई एवं नौकरशाही की दखल अंदाजी बढती गई। साथ ही साथ जनतांत्रिक ताकतों के हाथों से बजटरी प्रावधानों एवं उन पर अंकुश धीरे-धीरे खिसकने लगा और वह क्रमश: नौकरशाहों के हाथों में हस्तगत होने लगा जिसके परिणामस्वरूप आज वित्तीय अनियमितताओं का स्पष्ट स्वरूप दिखाई पड़ रहा है।

भारत के संविधान निर्माताओं ने देश के अन्दर जनतांत्रिक ढाँचे के रास्ते को अपनाने के साथ-साथ इस ढाँचे की मजबूती प्रदान करने के इरादे से कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं विधायिका के बीच बजटरी प्रावधानों एवं उनकी छानबीन तथा उन पर अंकुश लगाने का कार्यान्वयन की स्वतंत्र जवाबदेही लोक लेखा समितियों को सौंपी है। यह भी विदित है कि लोक लेखा समिति "जनता के तिजोड़ी का नियंत्रक" बताया गया है। इसी रोशनी में बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति ने राज्यहित में इस प्रतिवेदन को तैयार की है। यह प्रतिवेदन दिनांक 6.3.2002 को मुख्य समिति ने सर्वसम्मत से पारित किया।

इस प्रतिवेदन को तैयार करने में जल संसाधन विभाग ने तत्परता दिखाई जिसके कारण समिति आठ बैठकों में वर्ष 1984-85 से 1998-99 तक 15 वर्षों के कंडिकाओं का निष्पादन करने में सफल हुई। अन्य विभागों के लिए जन संसाधन विभाग की तत्परता अनुकरणीय है। समिति पर माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा की विशेष कृपा रही है। इनके अत्यावश्यक सहयोग के बिना यह कार्य सम्पादित नहीं हो सकता था। इसके लिए समिति के तमाम माननीय सदस्य, सचिव, विधान सभा, लोक लेखा समिति के पदाधिकारियों, कर्मचारियों एवं अनुसेवकों के साथ-साथ रिपोर्टरों, टंककों, वाल्मी के पदाधिकारियों, अभियंताओं, कर्मचारियों एवं महालेखाकार के पदाधिकारियों को धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता हूँ। इसके लिए विशेषकर सिचाई विभाग के विशेष सचिव के साथ-साथ वित्त विभाग एवं महालेखाकार के पदाधिकारीगण भी धन्यवाद के पात्र हैं। अंत में तमाम सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ।

पटना :-
तिथि : 6 मार्च, 2002

रामदेव वर्मा
सभापति
लोक लेखा समिति
बिहार विधान सभा, पटना

1- लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (रा0प्रा0) वर्ष 1991-92 की कंडिका 1.5

कडिंका 1.5- कर/शुल्क संबंधी छल और आवंचन:

वर्ष के प्रारम्भ मे लंबित कर और शुल्क से संबंधित छल एवं अपवंचन के मामलें में विभागीय पदाधिकारियों द्वारा पता लगाये गये मामलों की संख्या,वैसे मामलों की संख्या जिसमें वर्ष के दौरान निर्धारण जाँच सम्पन्न हुए तथा व्यवसायियों के विरूद्ध कर/शुल्क की अतिरिक्त माँग (अर्थदंड सहित) की गयी तथा मार्च 1992 के अंदर में निपटाने के लिए लंबित मामलों की संख्या का विवरण इस प्रकार है जैसा कि विभाग ने प्रतिवेदित किया है ।

कर/शुल्क का नाम	लंबित मामलें जैसा 31 मार्च 1991 को था	1991-92 के दौरान पता लगाये गये मामलें	ममलों की संख्या जिनमें निर्धारण पूरा किया गया तथा अर्थदंड आदि सहित माँग की गयी	ममलों की माँग की संख्या की राशि	31 मार्च 1992 को निपटारें के लिए लंबित मामले
1	2	3	4	5	6
जलकर	7258	100	7	0.73	0351

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश :

विभाग कर वसूली की अध्यतन स्थिति की स्वयं समीक्षा कर कार्रवाई करें । समिति अब इसे आगे बढ़ाना नही चाहती है ।

2- लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (रा0प्रा0) वर्ष 1991-92 की कंडिका 1.7

कंडिका- 1.7- असंग्रहित राजस्व:

जल कर शीर्ष के अन्तर्गत 31 मार्च 1992 को बकाया राजस्व जैसा कि विभाग ने प्रतिवेदित किया इस प्रकार है ।

(राशि करोड़ रू0 में)

राजस्व शीर्ष	संग्रहण के लिए लंबित राशि	5 वर्षो में अधिक बकाया	अभ्युक्तियाँ
1	2	3	4
जलकर	38.50	अप्राप्त	बकाये की संबंध अवधि तथा विभाग द्वारा वसूली के लिए की गयी निश्चित कार्रवाई की सूचना प्राप्त नही हुई ।

समिति का निष्कर्ष:

विभाग स्वयं इसकी समीक्षा कर अद्यतन स्थिति से समिति को अवगत करावें । समिति इस निदेश के साथ अब इसे आगे बढ़ाना नही चाहती है ।

3- लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (रा0 प्रा0) वर्ष 1991-92 की कंडिका- 1.8

कंडिका- 1.8- लेखा परीक्षा के परिणाम:

वर्ष 1991-92 के दौरान जल संसाधन (जल कर) कार्यालयों के अभिलेखों का नमूना जॉच से पता लगा कि इस विभाग से संबंधित ।।। मामलों में 10,499.10 लाख रू0 राजस्व का अवनिर्धारण हुआ । इन मामलों का ब्योरा इस प्रकार है ।

क्रमांक	श्राजस्व शीर्ष जलकर	मामलों की संख्या	राशि (लाख रू0 में)
1	2	3	4
1	सिंचाई से लक्ष्य की प्राप्ति नही होने के कारण राजस्व की हानि	19	2474.28
2	जल दरों के निर्धारण में विलम्ब	14	2020.21
3	जल दरों का बकाया पावना	8	5567.60
4	कोषागार को किये प्रेषणों की जॉच न करना	11	59.66
5	अन्य मामलें	59	377.35
	कुल	111	10499.10

समिति का निष्कर्ष:

समिति इस निदेश के साथ कि विभाग अपने स्तर से इसकी जॉच कर कार्रवाई करें । अब इसे समिति आगे बढ़ाना नहीं चाहती है ।

4- लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (रा0प्रा0) घर्ष 1991-92 का कंडिका

लंबित निरीक्षक प्रतिवेदन और लेखा परीक्षा आपत्तियों वित्तीय अनियमितताएँ तथा प्रारंभिक अभिलेखों में त्रुटियों जो स्थानीय लेखा परीक्षा के दौरान मालूम होता है तथा जिनका निराकरण तत्काल नही हो पाता है, उनपर शीर्घ कार्रवाई करने के लिए लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के माध्यम से कार्यालयादेशों और उच्चतर विभागीय पदाधिकारियों के पास भेजे जाते है । अति महत्वपूर्ण अनियमितताओं की सूचना विभागाध्यक्ष एवं सरकार को तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए दी जाती है । इसके अतिरिक्त 6 महीनों से अधिक लंबित ऐसी आपत्तियों का अर्ध वार्षिक प्रतिवेदन सरकार के पास शीघ्र निष्पादन हेतु अग्रसारित किया जाता है । आपत्तियों के शीघ्र निपटारे हेतु समय-समय पर लेखा परीक्षा समिति में विचार विमर्श किया जाता है जिनमें विभाग तथा लेखा परीक्षा विभाग के पदाधिकारी भी रहते है ।दिसम्बर 191 तक निर्गत निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा लेखा परीक्षा आपत्तियों जिनका विभाग द्वारा 30 जून 1992 तक निपटारा नही हो सका । उसका ब्योरा इस प्रकार है ।

विभाग	राजस्व शीर्ष	लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन की संख्या	लेखा परीक्षा आपत्तियों की संख्या	अधिक समय से लंबित प्रतिवेदन जिस वर्ष से संबंधित है ।	अन्तर्गत राशि (राशि करोड़ रू0)
1	2	3	4	5	6
जल संसाधन	जल दर	423	1155	1980-81	124.71

यद्यपि सरकार ने निर्देश दिया है कि निरीक्षक प्रतिवेदन का प्रथम उत्तर उनकी प्राप्ति के एक महीने के अंदर विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किया जाय परन्तु दिसम्बर 1991 तक निर्गत 118 निरीक्षक प्रतिवेदनों के विषय में प्रथम उत्तर जून 1992 तक प्राप्त नही हुआ है ।

समिति का निष्कर्ष:

समिति निदेश देती है कि अंकेक्षण प्रतिवेदनों का उत्तर विभाग समय सीमा के अन्दर लेखा परीक्षा को उपलब्ध करावें । समिति इस निर्देश के साथ अब इसे आगे बढ़ाना नहीं चाहती है ।

5- लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (रा0प्रा0) वर्ष 1991-92 की कंडिका 7.9

जल दरों के निर्धारण में विलम्ब और उनका छूट जाना

बंगाल सिंचाई अधिनियम 1876 और उसके अधीन बने नियम जो बिहार में भी लागू है के अन्तर्गत जब दर के निर्धारण की प्रक्रिया में विभिन्न औपचारिकता पूरा करना है जैसे सिंचित भूमि की सूची की तैयारी (सूद कर) कृषकवार भूमि का विस्तृत माप (खेसरा) माँग विवरण (खतियानी) को तैयार करने के लिए आदेश (पी0 के आदेश के नाम से ज्ञात) निर्गत करना तथा उसके बाद सत्यापन के लिए कृषक को माँग (पर्चा) की एक प्रति भेजना व्यौरेवार माँग और वास्तविक संग्रहण की स्थिति को अद्यतन करना । औपचारिकताएँ पूरा करने के लिए एक समय सूची निर्धारित की गयी है जिसमें कि खरीफ फसल के संबंध में 99 दिनों के भीतर और रब्बी फसल के लिए 68 दिनों के भीतर जल दर का भुगतान हो सके ।

(क) राजस्व प्रमंडल बेतिया (पश्चिमी चम्पारण) और राँची में यह देखा गया (जून 1991 और जुलाइ 1991) की कर निर्धारण प्रक्रिया में 1989-90 और 1990-91 के दौरान सिंचित की गयी खरीफ और रब्बी फसल के क्रमश: 9.48 लाख एकड़ और 4.07 लाख एकड़ के संबंध में अनेक औपचारिकताएँ निर्धारित अवधि के भीतर पूरी नही की गयी ।

कर निर्धारण की प्रक्रिया में विभिन्न औपचारिकताएँ को पूर्ण करने में विलंब का समय विस्तार अधोलिखित था :-

वर्ष	राजस्व प्रमंडल	सिंचित क्षेत्र	कर निर्धारण के चरण	विलंब का समय विस्तार जून/ जुलाई 1991 तक
खरीफ 1989-90	बेतिया	2,60,717	खसरा	621 दिन
1990-91	तथैव	4,95,976	खतियानी	621 दिन
1990-91	तथैव	42,049	खसरा	256 दिन
	तथैव	58,326	खतियानी	236 दिन
रब्बी 1989-90	तथैव	1,33,283	खसरा	805 दिन
	तथैव	2,65,696	खतियानी	790 दिन
खरीफ 1990-91	राँची	29,520	खसरा	221 दिन
	तथैव	61,573	खतियानी	201 दिन
रब्बी 1990-91	तथैव	3,904	खसरा	405 दिन
	तथैव	3,904	खतियानी	390 दिन

विलंब के फलस्वरूप खरीफ और रब्बी फसल के लिए क्रमश: 36.20 रू0 और 20.70 रू0 प्रति एकड़ की दर से गणना करने पर कुल 427.44 लाख रूपये के जब दर का निर्धारण नही हो सका ।

लेखा परीक्षायें इसे बताए जाने पर (जुलाई 1991) और (जून 1991) प्रमंडल के प्रभारी उप समाहर्त्ता ने बताया (जुलाई 1991 और जून 1991) कि कर्मचारियों की कमी के कारण कार्य समय पर पूरा नही हो

सका । तथापि विभाग ने सूचित किया (मार्च 1994) कि राजस्व प्रमंडल बेतिया में 2,71,594 एकड़ के नाम का कार्य तथा 1,01,662 एकड़ संबंधी कर निर्धारण का कार्य फरवरी 1992 तक सम्पन्न हो चुका था तथा राजस्व प्रमंडल, राँची के संबंध में निर्धारण संबंधी कार्य 1,630 एकड़ एवं 2,536 एकड़ क्रमशः खसरा एवं खतियानी स्तर पर फरवरी 1994 के अंत तक लंबित था ।

मामले की सूचना सरकार को जनवरी फरवरी में हो गयी थी तद्नन्तर स्मार भी दिये गये थे (सितम्बर 1992 और जुलाई 1993) उनके उत्तर प्राप्त नही हुए है (मार्च 1994) ।

(ख0189 नहर राजस्व प्रमंडल, मधुबनी में लेखा परीक्षा में यह देखा गया कि (जून 1991) में कि 1990-91 के खरीफ मौसम के लिए जब दर के निर्धारण के लिए सूद कर के चरण में प्रतिवेदन के अनुसार कुल जल सिंचित क्षेत्र 39,998.49 एकड़ था लेकिन खसरा में बकाए के रूप में 33,667.90 एकड़ दिखाया गया जिसके फलस्वरूप वास्तविक रूप में सिंचित 6330.59 एकड़ छूट गया । जिसका इस चरण में हिसाब में नही लिया गया था । खसरा में दिए गए 33,667.90 एकड़ में से केवल 32,4120.8 एकड़ का ही खतियानी तैयार की गयी और इसपर जलकर की माँग की गई । इस प्रकार 6,330.59 एकड़ और 1,255.82 एकड़ भूमि की यद्यपि 1990-91 के खरीफ मामले में वास्तविक रूप से सिंचाई की गयी थी फिर भी उसे क्रमशः खसरा और खतियान के चरण में छोड़ दिया गया जिसका अभिलेख में कोई कारण नही बतलाया गया था । परिणामस्वरूप 30.20 रू0 प्रति एकड़ की दर से गणना करने पर कुल 7,586.41 एकड़ की खरीफ भूमि पर 2.75 लाख रूपये का राजस्व अंत निर्हित था । जिसपर जब दर का निर्धारण नही हो सका ।

लेखा परीक्षा में इसे बताये गये पर (जून 1991) प्रमंडल के प्रभारी उप समाहर्त्ता ने बताया (जून 1991 और जुलाई 1991) कि संबंधित अंचलों से सूचना प्राप्त होने पर उतर भेजा जायेगा । आगे की सूचना प्राप्त नही हुई (मार्च 1994) यद्यपि स्मार भी दिए गए (जुलाई 1993) ।

मामले की सूचना सरकार को फरवरी 1992 में की गयी थी तथा स्मार भी दिये गये (सितम्बर 1992 और जुलाई 1993) उत्तर प्राप्त नही हुए है (मार्च 1994) ।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश :

विभाग इसकी जाँचकर स्वयं आवश्यक कार्रवाई करें । समिति अब इसे आगे बढ़ाना नहीं चाहती है ।

जल संसाधन विभाग

वर्ष 1991-92

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1991-92 (राजस्व) कंडिका-1.14

कंडिका 1.14 राजस्व का बकाया

वर्ष के अन्त तक राजस्व के लंबित संग्रहण का बकाया जैसा कि जल संसाधन विभाग के द्वारा सूचित किया गया था राजस्व शीर्ष के अन्तर्गत " जलकर " के अधीन 38.50 करोड़ रूपया था । वसूली के लिए की गई कार्रवाई की सूचना विभाग द्वारा नही दी गई (मार्च 1994)

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभाग स्वयं कार्रवाई करें इस निष्कर्ष के साथ समिति इस कंडिका को अब आगे बढ़ाना नही चाहती है ।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1991-92 (राजस्व) कंडिका-1.15

कडिका 1.15 निवेश एवं वापतियाँ

सरकार द्वारा बिहार राज्य निर्माण निगम प्रा0 लि0 में शेयर पूंजी के रूप में 1975-76 से 1978-79 तक कुल 4.90 करोड़ रूपये निवेश किया था जो कि 91-92 के अन्त तक निवेशित राशि थी । वर्ष के दौरान न राशि की वसूली हुई और न लाभांश / ब्याज की प्राप्ति हुई ।

विभागीय स्पष्टीकरण

बिहार राज्य निर्माण निगम को राज्य सरकार से हिस्सा पूंजी के मद में वर्ष 1991-92 तक 5.00 करोड़ रूपये प्राप्त हुए है । वर्ष 1992-93 एवं बाद के वर्षो में हिस्सा पूंजी के मद मे कोई राशि प्राप्त नही हुई है ।

निगम को वर्ष 1991-92 तक हिस्सा पूंजी के विरूद्ध "वेज एण्ड मीन्स अग्रिम" के रूप में 2.00 करोड़ रूपये प्राप्त हुए है ।

वर्ष 1996-97 में निगम को एक माह के वेतन के लिए 34,22,551/- रूपये की राशि ऋण के रूप में विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी है ।

विभाग को वर्ष 1977-78 से लगातार घाटा हो रहा है फलस्वरूप हिस्सा पूंजी पर कोई लाभांश राज्य सरकार को नही दिया गया है ।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक मे समिति इसे निष्पादित करती है एवं समिति अलग से प्रतिवेदन देगी ।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1991-92 (राजस्व) कंडिका-1.19

कडिका 1.19 महालेखाकार कार्यालय मे लेखा प्रस्तुत करने में चिरकालिक एवं लगातार विलम्ब

पूर्व के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में, कोषागारों, लोक निर्माण विभागों एवं वन प्रमंडलों द्वारा प्रतिवर्ष प्रारंभिक लेखा के प्रस्तुत करने मे चिरकालिक एवं लगातार कमशः 1985-86 से 1988-89 एवं वर्ष 1989-90 से 1990-91 के बारे में संकेत किया जाता रहा है।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभाग भविष्य में इस पर ध्यान देकर कार्रवाई करें समिति इस सिफारिश के साथ इस कंडिका को आगे बढ़ाना नही चाहती है ।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1991-92 (सिविल) कंडिका-2.2.2

कंडिका 2.2.2 अनुदान सं0 45-
वृहद और मध्यम सिंचाई कमान क्षेत्र का विकास और बाढ़ नियंत्रण के अधीन 171.90 करोड़ की बचत को देखते हुए जनवरी 1992 में प्राप्त किया गया 6.65 करोड़ रूपये का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्व हुआ ।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश
भविष्य में विभाग आवश्यकतानुसार ही अनुपूरक अनुदान प्राप्त करें । इस निष्कर्ष के साथ समिति इस कंडिका को आगे बढ़ाना नही चाहती है ।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1991-92 (सिविल) कंडिका-2.2.4

कंडिका 2.2.4 अनुदान संख्या-45
वृहद और मध्यम सिंचाई के अन्तर्गत व्यय एक करोड़ (यहाँ 171.91 करोड़ रूपये)से अधिक और कुल प्रावधान का 10 प्रतिशत (यहाँ 35.61 प्रतिशत) से अधिक कम हो गया ।

विभागीय स्पष्टीकरण:
निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ मे कहना है कि विषयांकित मामला इस विभाग से संबंधित नही है । अतएव उपर्युक्त कंडिका का प्रतिवेदन शून्य मानते हुए विलोपित करने की कृपा की जाय ।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश
विभागीय उत्तर के आलोक मे समिति इस कंडिका को आगे बढ़ाना नही चाहती है ।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1991-92 (सिविल) कंडिका-2.2.5

कंडिका 2.2.5 अनुदान संख्या-45
वृहद और मध्यम सिंचाई के अन्तर्गत निम्नलिखित मामलों में समस्त प्रावधानों का एक करोड़ रूपये एवं उससे अधिक अव्यवहृत पड़े रहे :-
उपशीर्ष 2 क 3(4) कमला एवं अन्य उत्तर बिहार सिंचाई परियोजनाएँ (1) कार्यो कुल प्रावधान 34.32 करोड़ रूपये पूर्णत: अव्यवहृत रह गए । जिसका कारण सूचित नही किए गए (4/94)

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश
भविष्य में विभाग समय पर राशि खर्च करे, इस निर्देश के साथ समिति इस कंडिका को आगे बढ़ाना नही चाहती है ।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1991-92 (सिविल) कंडिका-2.2.6

कंडिका 2.2.6 निम्नलिखित अनुदानों में लगातार बचत देखी गई :-

अनुदान सं0	1989-90	1990-91	1991-92
45-कमांड क्षेत्र एवं बाढ़	(रूपये करोड़ में तथा प्रावधान से प्रतिशतता कोष्टक में)		
नियंत्रण पर वृहत एवं	83.35	16.63	171.90
मध्यम सिंचाई विकास	(13.57)	(4.00)	(35.60)

विभागीय स्पष्टीकरण:

अनुदानों में सतत् बचतें देखी गयी:

1. निर्गत चेकों का भुगतान नही हो सकना ।
2. कोषागार आपत्तियों के कारण विपत्रों का पारित नही हो पाना ।
3. अंतिम क्षणों में आवंटन निर्गत होने के कारण कुछ कार्यालयों तक आवंटन पत्र नही मिल पाना ।
4. भू-अर्जन की प्रक्रिया में विलम्ब होना ।
5. तकनीकी उलझनों के कारण परियोजनाओं का कार्यान्वयन समय पर नही हो पाना ।

उपर्युक्त कारणों के निदान करने का विभाग द्वारा प्रयास तो किया गया है परन्तु समय सीमा के अन्दर आशातीत सफलता नही प्राप्त हो पायी ।

अब इन विन्दुओं पर और ज्यादा सर्तकता से कार्रवाई की जा रही है और भविष्य में ऐसा नही होने के लिए विभाग सचेष्ट है ।

उपर्युक्त कारणों के आलोक में कंडिका विलोपित करने की कृपा की जाय ।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय उत्तर के आलोक में समिति अब इसे आगे बढ़ाना नही चाहती है ।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1991-92 (सिविल) कंडिका-2.2.9 (क) (ग)

कंडिका 2.2.9(क) (ग) बचतों का अभ्यर्पण

जैसे ही बचत की सम्भावना मालूम हो वैसे ही नियमानुसार सभी प्रत्याशित बचतों को अभ्यर्पित कर देना चाहिए । वर्ष 1991-92 के दौरान अभ्यर्पित किए गए 3.89 करोड़ रूपये में से 0.44 करोड़ रूपये 31.3.1992 को अभ्यर्पित किया गया था । अनुदान संख्या-45 वृहद एवं मध्यम सिंचाई कमांड क्षेत्र का विकास एवं बाढ़ नियंत्रण के अधीन 171.90 करोड़ रूपये में से 168.01 करोड़ रूपये अनाभ्यर्पित रह गये ।

विभागीय स्प्टीकरण:

अव्यवहृत राशि का प्रत्यर्पण सामान्यत: 28 फरवरी से 15 मार्च के अन्दर किये जाने का प्रावधान है, जिसका पालन किया जाता है । फिर भी कुछ अप्रत्याशित कारणों यथा-चेक का भुगतान नही हो पाना, कोषागार से विपत्र का पारित नही हो सकना, एवं अन्य तकनीकी उलझनों के कारण अनुमानित राशि का व्यय संभव न हो सकने की स्थिति में 31 मार्च तक शेष राशि का प्रत्यर्पण किया जाता है ।

भविष्य में इस पर विशेष सतर्कता बरती जायेगी । अनुरोध है कि इस कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय ।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय उत्तर के आलोक में समिति अब इसे आगे बढ़ाना नही चाहती है ।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1991-92 (सिविल) कंडिका-2.4/2.4.1

कंडिका 2.4/2.4.1 नई सेवा/ नई सेवा यंत्र पर व्यय

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अन्तर्गत "नई सेवा" जिस पर उस वर्ष के वार्षिक वित्तिय विवरण (बजट) में विचार नही किया गया हो एवं "सेवा के नए यंत्र" को विधान मंडल द्वारा प्राधिकृत करने की आवश्यकता है राज्यलोक लेखा समिति ने अपनी 30वी प्रतिवेदन में नई सेवा के रूप में गिनती किए जाने वाले व्यय के लिए आर्थिक सीमा की अनुशंसा की थी (जिसे सरकार द्वारा स्वीकृति मिल गई है)। इस प्रकार निर्धारित प्रकिया के अनुसार एक मुस्त धन व्यवस्था से वित्त पोषित एक लाख रूपया या उससे अधिक की लागत वाले सभी योजनाएँ नई सेवा के रूप में मी जानी चाहिए और इसकी जानकारी वित्तिय वर्ष की समाप्ति के तुरन्त बाद विधान मंडल को दी जानी चाहिए ।वर्ष 1991-92 के विनियाग लेखा के नमूना जॉच से यह ज्ञात हुआ कि वर्ष के दौरान विभिन्न योजनाओं पर 160.99 करोड़ रूपये के प्रावधान के विरूद्व 49.50 करोड़ व्यय किए गए (परिशिष्ट-6)

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

समिति इस निदेश के साथ कि नई सेवा पर वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन समय से विधान मंडल को समर्पित किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें । समिति अब इसे आगे बढ़ाना नही चाहती है ।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1991-92 (सिविल) कंडिका-2.7

कंडिका 2.7 बचत/ आधिक्य के लिए स्पष्टीकरण की प्राप्ति नही होना

वित्तीय वर्ष की समाप्ति के वित्तीय अनुदान/ विनियोग वास्तविक व्यय और परिणामी अन्तर को उप शीर्षवार दिखलाते हुए ब्योरे वार विनियोग लेखा के नियंत्रण पदाधिकारी को भेजा जाता हे और उनसे अपेक्षा की जाती है कि शीर्ष के अन्तर्गत महत्वपूर्ण अन्तर स्पष्ट करें । एक दो इकाईयों के अंतिम बचत का कारण स्पष्ट था शेष उपशीर्षो का बचत का कारण नही दिया गया था ।

विभागीय स्पष्टीकरण:

बजट अधिक्य के लिये सामान्य रूप मै स्पष्टीकरण निम्नांकित है :

बचत का कारण:- प्रश्नाधीन वर्षो में प्राय: यह पाया गया है कि यद्यपि उपबंध उपलब्ध था, फिर भी वेतन मद को छोड़कर कार्य एवं यात्रा भत्ता, कार्यालय व्यय आदि मदों की निकासी पर वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में रोक लगा दी जाती थी । फलत: पूरी राशि का उपयोग वित्तीय वर्ष में नही हो पाता था ।

अधिक्य:- पिछले वर्षो मे स्थापना मद के लिये आवंटन की प्रक्रिया नही अपनाई जाती थी । मंहगाई भत्ता, अंतरिम राहत आदि मदो में प्राय: बढ़ोत्तरी की स्वीकृति सरकार द्वारा समय-समय पर दी जाती रही, जिसकी निकासी हुई । अति: जो भी बढ़ोत्तरी है वह स्थापना मद में अधिक व्यय (जिसे रोका ही जा सकता था) के कारण है । कार्य मद में आवंटन की पद्धति को दृढ़ता से पालन किया गया था । जिसके कारण कार्य मद में सामान्यत: कोई बढ़ोत्तरी नही पायी गयी है ।

अनुरोध है कि उपर्युक्त के आलोक में कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय ।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय उत्तर के आलोक में समिति अब इसे आगे बढ़ाना नही चाहती है ।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1991-92 (सिविल) कंडिका-4.13

हजारीबाग जिलान्तर्गत कोनार नदी के उपर कोनार बांध का निर्माण कार्य दामोदर घाटी निगम (डी.भी.सी.) द्वारा 1954 में किया गया । हजारीबाग जिला के दामोदर घाटी में सूखा प्रभावित क्षेत्र के 61,923 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हेतु वर्ष 1979 में कोनार बांध के पानी के उपयोगार्थ, राज्य सरकार ने कोनार दिक परिवर्तन परियोजना आरम्भ की थी ।

योजना के सम्पूर्ण पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के लिए मुख्य अभियंता, जल संसाधर विभाग, राँची कीजबाबदेही बनाया गया जबकि तीन अधीक्षण अभियंता (इ.ई) वास्तविक कार्यान्वयन का भार सौपा गया ।

अंकेक्षण (फरवरी से मई 1987) के दौरान मार्च 1987 तक कोनार सिंचाई योजना के अंकेक्ष (फरवरी से मई 1987) के दौरान पाये गये बिन्दुओं को 31 मार्च 1987 तक समाप्त होने वाले वर्ष (1990 सिविल संख्या-1) से संबंधित, महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन में, उल्लिखित कर दिए गए । इन बिन्दुओं पर लोक लेखा समिति की अनुशंसा प्रतीक्षित है।

सात में से पाँच प्रमंडल के अभिलेखों की अप्रील 1992 से एवं जून 1992 के बीच नमूना जाँच द्वारा मार्च 1992 तक के परियोजना कार्यान्वयन की समीक्षा की गई एवं महत्वपूर्ण बिन्दुएं अगली गंडिकाओं में उल्लिखित की गई ।

(अ) परियोजना प्राक्कलन एवं व्यय

बढ़ोत्तरी के कारणों से साथ मूल प्राक्कलन से संबंधित संशोधित प्राक्कलन में कीमत वृद्धि का विश्लेषण निम्नलिखित तालिका में शामिल किया गया है:

प्राक्कलन	मूल्य	रकम की वृद्धि	कारण
मूल (मार्च 1977)	1143.00		
प्रथम संशोधित (अगस्त 1977)	2976.00 (160)	1833.00	कीमत वृद्धि और बांध का घटाया हुआ मूल्य
द्वितीय संशोधित (1992-93)	8182.00 (616)	7039.00	कीमत वृद्धि
तृतीय संशोधित (दिसम्बर 1983)	9361.00 (719)	8218.00	कीमत वृद्धि और बांध का घटाया हुआ मूल्य
चतुर्थ संशोधित (जून 1988)	18767.00 (1542)	17624.00	कीमत वृद्धि
पंचम संशोधित (सितम्बर 1992)	25297.00 (2123)	24154.00	कीमत वृद्धि

परियोजना की तकनीकि स्वीकृति केन्द्रीय जल आयोग द्वारा अप्रैल 1994 तक नही दी गई । परियोजना पर कुल 7178 लाख रूपये की राशि मार्च 1993 तक समेकित व्यय के रूप में हुई ।

(ब) भौतिक प्रगति एवं समय का आधिक्य

प्रारम्भिक रूप से परियोजना 1985 में पर्ण हो जाने की थी । 1989 में प्राम्मलन में संशोधन के बाद, यह 1992 तक रोक दिया गया । जून 1992 में विभाग ने 1995 तक एवं सितम्बर 1993 में 1998 तक कार्य समाप्त कर देने का प्रस्तार रखा । फिर भी, मार्च 1992 तक की अव्यवों के क्रम में कार्य की प्रगति निम्नलिखित तालिका में इंगित है:-

इकाई	कार्य का विवरण	मात्रा	कार्य की मात्रा	प्रतिशत
(अ) जल संचालन प्रणाली	1) पहुंच प्रणाली (ओ के एम से 0.65)कि.मी.			
	अ) खुदाई	4,08,000 घन मी.	37,660 घन मी.	9

	ब) बोल्डर बिछाना	41,000 घन मी.	शून्य	शून्य
	2) अंत:श्रुत मीनार (0.65 कि.मी. से) अ) खुदाई ब) बोल्डर बिछाना	 4027 घनमी. 800 घनमी.	 1691 घनमी. शून्य	 42 शून्य
	3) सुरंग (0.65 कि.मी. से 0.76 कि.मी.) (0.76 कि.मी. से 4.85 कि.मी.)	 0.11 कि.मी. 4.09 कि.मी.	 शून्य 3.2	 शून्य 7.8
	4) कट एण्ड कोभर (4.85 कि.मी. से 6.989 कि.मी.) (अ) मिट्टी कार्य (ब) पक्कीकरण	 1278500 धनमी. 35713 घन मी.	 1178138 घन मी. 29560 घन मी.	 92 82
	5) मुख्य नहर (अ) मिट्टी कार्य (ब) लाइनिंग	 375000 घन मी. 44000 घन मी.	 363750 घन मी. 27720 घन मी.	 97 63
इकाई (ब) इकाई -11	तेनू बोकारो सम्बद्ध नहर (अ) लाईनिंग (ब) बोल्डर बिछाना 1. बांयी शाखा नहर 2. दांयी शाखा नहर 3. बगोदर शाखा नहर 4. बागी वितरणी 5. खेल्को वितरणी 6. लघु और जलवाहा	 603 घनमी. 14000 घनमी. 6.025 कि.मी. 35.575 कि.मी. 41.16 कि.मी. 19.30 कि.मी. 10.90 कि.मी. 446.60 कि.मी.	 569.7 घन मी. 4526 घन मी. 5.83 कि. मी. 16.54 कि.मी. 16.54 कि.मी. 10.5 कि.मी. 4.35 कि.मी. शून्य	 94 32 97 46 40 54 40 शून्य

कार्य की धीमी प्रगति के कारण, विभाग द्वारा राशि का अभाव बतलाया गया । इसके अलावे पहुच पथ, अन्त: श्रुत मीनार, सुरंग सहित जल संचालन प्रणाली के आवश्यक अवयवो के नही पूरा होने से, हजारीबाग एवं गिरीडीह जिलों में दामोदर घाटी सूखा ग्रस्त क्षेत्रों की जमीन की सिंचाई में पानी का उपयोग नहीं किया गया ।

इस प्रकार मार्च 1993 तक 7178 लाख रूपये व्यय के बावजूद, परियोजना के इच्छित उद्देश्य की पूर्ति नही हो सकी ।

(स) कार्यान्वयन अनियमितताएँ

(i) निविदा स्वीकृति में देर के कारण अतिरिक्त व्यय 0.00 से 0.65 कि.मी. पहुंच परनाला एवं अन्त: श्रुत संरचना के निर्माण कार्य की निविदा नवम्बर 1984 में आमंत्रित की गई । दो निविदाएं प्राप्त हुई लेकिन दुबारा आमंत्रित निविद में जुलाई 1986 में प्राप्त एकल निविदा में जुलाई 1986 में प्राप्त एकल निविदा में दर वृद्धि की धारा अ निश्चित नही किए जाने के आधार पर स्वीकार्य नही होने के फलस्वरूप अभियंता प्रमुख द्वारा रद्द कर दिया गया । फिर भी सितम्बर 1987 को आमंत्रित निविदा को अंतिम रूप दे दिया गया एवं कार्य (1987 के एस. ओ. आर पर आधारित 367.66 लाख रूपये की प्राक्कलित राशि) मात्रा एवं क्षेत्र में परिवर्तन किए बिना, अगस्त 1992 की समाप्ति तिथि के साथ, 366.88 लाख एकरारनामें की राशि पर एवं संवेदक को दे दिया गया । संवेदक को सितम्बर 1990 तक 43.90 लाख रूपये किए गए कार्य का भुगतान कर दिया गया सरकार द्वारा दूसरी परियोजना ने संवेदक को काली सूची में रखने के कारण परियोजना के मुख्य अभियंता ने एकरारनामे को जून 1991 में बंद कर दिया ।

इस तरह विभाग द्वारा निविदा को अंतिम रूप में देर किए जाने के कारण, मूल प्राक्कलन की (282.00 लाख रूपये) की तुलना में एकरारनामें की राशि (366.88 लाख रूपये) में अगस्त 1989 तक 84.82 लाख रूपये की वृद्धि हुई । बचे हुए कार्य करने की शुरूआत एवंसमापन जनवरी 1994 तक नहीं की गई ।

(ii) अतिरिक्त दायित्व

जलाशय से बाह्यश्रुत सुरंग के निर्माण कार्य हेतु जनवरी 1979 में किये गये एकरारनामा के अनुसार नहर के कार्यक्षेत्र से खोदी गई मिट्टी 1 से 2 किलोमीटर दूर फेकनी थी । एकरारनामें के प्रावधान को पूरा अनादर करते हुए संवेदक ने खुदाई से प्राप्ति मिट्टी को 15. मी. से 500 मीटर के बीच की खाली जगह में भर दिया, कार्यपालक अभियंता ने पीछे की भराई के मूल्य को बचाने के लिए आर.सी.सी. तालिका के निर्माण पूरा होनेवाली जगह के कट एवं कौभर के पीछे भराई वाले हिस्से से प्राप्त मिट्टी के उपयोग का आदेश दिया (मार्च 1984) संवेदक ने प्रमंडलीय पदाधिकारी के निदेश को लागू करने से इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि आर.सी.सी. नलिका के पृष्ट भराई के कार्य की खुदाई से प्राप्त मिट्टी के उपयोग के लिए एकरारनामें में उल्लेख नहीं था । यद्यपि कि पृच्ट भराई कार्य के 2 कि.मी. के अंदर की लीड संविदा की धारा-11 के अनुसार संवेदक ऐसा करने के लिए बाध्य था । फिर भी, संवेदक ने 994190 घन मी. के बदली 56000 घन मी. पृष्ट भराई का कार्य कहने पर किया ।

(iii) व्यर्थ व्यय

भूमिगत विस्फोट से संभावी प्रभावित सुरंग संरेखन के दोनों तरफ बनासों गांव में बसे हुए 110 परिवारों के पुनर्वास हेतु 55 दोमंजिला आवास गृह के निर्माण कार्य के लिए परियोजना के मुख्य अभियंता ने 1980 में प्राककलन (25.24 लाख रूपये) की तकनीकी स्वीकृति दी । भू-वैज्ञानिकों द्वारा अगस्त 1982 में किये गये ध्वनि जाँच से पता चला कि विस्फोट से सुरंग की भूमिगत खुदाई से सतह पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा और परिवारों का पुनर्वास अब जरूरी नहीं था । इसीलिए अगस्त 1982 में आवास गृह निर्माण के आगे का कार्य रोक दिया गया । 7 निर्माणाधीन आवास गृह अनाधिकृत रूप से कब्जे में था जिसके लिए संवेदक एवं प्रमंडल द्वारा अक्टूबर 1984 में प्राथमिकी दायर की गई (अक्टूबर 1984) । 3.45 लाख रूपये उन अधूरे निर्माण कार्य पर मार्च 1985 तक व्यय कर दिये गये थे ।

पर्याप्त स्थल अन्वेषण के आधार पर आवास गृहों की आवश्यकता पहले जाँच करने की असफलता से 3.43 लाख रूपये का व्यर्थ हो गया ।

(iv) स्थापना पर अयधिक व्यय

परियोजना प्राक्कलन के अनुसार प्रावधान के 10 प्रतिशत ही स्थापना व्यय पर खर्च करना था । 1988-92 के दौरान किये गये कार्यों की समीक्षा से निम्नांकित बातें सामने आई:

(लाख रूपये में)

वर्ष	कार्य पर व्यय	स्थापना पर व्यय	कार्य से स्थापना पर किये व्यय का प्रतिशत
1988-89	539.06	117.05	21.71
1989-90	544.15	192.98	35.46
1990-91	389.87	207.69	53.27
1991-92	651.02	157.259	241.56
1992-93	4.59	247.47	5347.93

इस प्रकार परियोजना के प्राक्कलन में निर्धारित मानदंडों की तुलना में स्थापना खर्च पर अत्याधिक व्यय कर दिया गया ।

(v) सामाग्रियों की कमी के कारण क्षति

अगस्त 1987 के दौरान अवर प्रमंडल के गादामों (यांत्रिक डुमरी एवं चैनपुर) के भौतिक सत्यापन करने के लिए सिलसिले में कार्यपालक अभियंता, कोनार नहर प्रमंडल, डुमरी द्वारा वहां पड़े हुए सामानों की सूची बनाई गयी । इससे 3.

16 लाख रूपये के कीमत की 5745 बोरे सिमेंट कम होने कापता चला । सितम्बर 1987 में प्राथमिकी दायर की गई । गोदाम के प्रभारी कनीय अभियंता अक्टूबर 1987 मे निलंबित कर दिये गये । फिर भी, 1.9.87 को आरंभ की गयी विभागीय आँच पड़ताल जनवरी 1994 तक समाप्त नही हुई और सामानों की कीमत की वसूली के लिए कोई कार्रवाई नही की गई ।

इसके अलावे, यह भी देखा गया कि भण्डार प्रभारी अभियंता द्वारा मई 1987 से मासिक भण्डार लेखा प्रमंडल को नही दिया गया । जनवरी 1994 तक दायर की गई प्राथमिकी का फलभी प्रतीक्षित है ।

सरकार को फरवरी 1993 मे विषयवस्तु की जानकारी दी गई, उत्तर अप्राप्त है (अप्रैल 1994) ।

विभागीय स्पष्टीकरण

कंडिका 4.13(अ) परियोजना प्राक्कलन एवं व्यय

(अ) कोनार सिंचाई परियोजना, हजारीबाग जिले में कुल 61920 हे0 क्षेत्र में सिंचाई उपलब्ध कराने हेतु प्रारम्भ की गयी थी । इस योजना का मूल प्राक्कलन 1143.00 लाख (वर्ष 1979) में स्वीकृत किया गया जिसे 1982-83 में 8182 लाख के लिये तथा 1992 में 25297.00 लाख के लिये पुनरीक्षित किया गया । केन्द्रीय जल आयोग को पृच्छाओं का उत्तर प्रेषित किया जा चुका है तथा स्वीकृति प्रतिक्षित है ।

कंडिका 4.13(च)

इस योजना पर कार्य 1979 में प्रारम्भ किया गया तथा 1991-92 तक कार्य चलता रहा तथा कम्पोमेन्टवार प्रगति निम्नवत् हुई :-

अव्यव	मात्रा	किया गया कार्य	शेष कार्य
एप्रोच चैनल 0 से 6-65 कि.मी.	100%	शून्य	100%
इन्टेक संरचना 0 से 0-65 कि.मी.	100%	शून्य	100%
टनेल 0-65 से 0-76 कि. मी.	0.11 कि.मी.	शून्य	0.11 कि.मी.
टनेल 0.76 से 4.96कि.मी.	100%	75.64%	24.36%
कट एवं कवर 0-96 से 7-010 कि.मी. (i) मिट्टी कार्य	100%	91%	9%
(ii) कंक्रीट	100%	79.43%	20.57%
मुख्य नहर (i) मिट्टी कार्य	100%	97.00%	3%
(ii) लाईनिंग	100%	59.21%	40.79%
(iii) संरचना	7 Nos	2 Nos.	5 Nos.
चैनेल आर.बी.सी.	6.025 Km.	88% (E/W)	12%
आर.बी.सी.	19.25 Km.	68.00% (E/W)	32.00%
बी.बी.सी.	41.16Km.	47% (E/W)	53%
बागरो वितरणी	13.50 Km.	34% (E/W)	66%
खिटका वितरणी	10.90 Km.	46% (E/W)	54%

इस कार्य हेतु पुनः निविदा आमंत्रित कर कार्य की दिशा में कार्रवाई की जा रही है ।

4.13 (स)(i)

एप्रोच चेनल एवं अन्डरस्लुईस स्ट्रक्चर की निविदा वर्ष 84 एवं 86 में आमंत्रित की गई परन्तु तकनीकी कारणों से कार्य आवंटित नही किया जा सका ।

वर्ष 1987 में यह कार्य आवंटित किया गया । इस अवधि में प्राक्कलन में वृद्धि होना है ।

(स)(ii) इस कंडिका में अंकित अतिरिक्त दायित्व के संबंध में मामला विवाचन में चला गया हे तथा विवाचन के पश्चात् ही तद्नुसार कार्रवाई की जायेगी ।

(स) (iii) इस योजना टनेल के दोनों तरफ बनासों गॉव के स्थापितों को पुनर्वास हेतु आवास का निर्माण कराना आवश्यक था अन्यथा टनेल का काम वर्ष 1979 में प्रारम्भ नही हो पाता । बाद में टनेल में विस्फोटक से कार्य करने पर पाया गया कि विस्फोट से अगल-बगल की आबादी प्रभावित नही होगी । इसलिये तत्काल पुनर्वास स्थल का कार्य रोक दिया गया तथा इस योजना पर बाद में होने वाले खर्चों की बचत की गयी ।

(स)(iv) वर्ष 1988-89 से 1991-92 तक के आँकड़ो से यह स्पष्ट होता है कि स्थापना एवं कार्य में निम्नवत् व्यय किया गया :-

वर्ष	कार्य पर व्यय (लाख रू0 में)	स्थापना पर व्यय	कुल	प्रतिशत स्थापना पर व्यय
1988-89	539.06	117.05	656.11	17.84
1989-90	544.15	192.98	737.13	26.18
1990-91	389.87	207.69	597.56	34.75
1991-92	651.02	157.259	808.28	19.45
1992-93	4.59	247.47	252.06	98.18

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि राशि उपलब्ध रहने पर स्थापना पर व्यय कुल व्यय का औसतन 24.5 प्रतिशत है , जिसे अधिक नही कहा जा सकता । 1991-92 के बाद वित्तीय कठिनाईयों के कारण कार्य पर आवंटन नही दिया जा सका । परन्तु स्थापना पर व्यय सरकार की जिम्मेवारी थी ।

(स)(v)- यांत्रिक प्रमंडल, डुमरी में सीमेंट की कमी के संबंध में कनीय अभियंता को तत्काल निलम्बित कर दिया गया तथा आदेश सं0-330 दिनांक 30.10.2000 द्वारा सेवा से बर्खास्त कर दिया गया । एक कार्य0 अभि0 एवं एक सहायक अभियंता पर भी कार्रवाई की गयी है ।

अतः विभाग द्वारा इस संबंध में समुचित कार्रवाई की गयी ।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय उत्तर के आलोक में समिति अब इसे आगे बढ़ाना नही चाहती है ।

✓अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1991-92 (सिविल) कंडिका-4.14

कंडिका 4.14 मशान जलाशय परियोजना निष्फल व्यय

मशान जलाशय परियोजा रामनगर (प0 चम्पारण) के कार्यान्वयन के लिए बिहार सरकार द्वारा 3473 लाख रूपये राशि की प्राशासकीय स्वीकृति मिली (जुलाई 1981) एवं 10/91 में तकनीकी स्वीकृति मिली । 1981 में 1420 हेक्टेयर वन विभाग की जमीन बाँध एवं स्पीलवे (उत्प्लव मार्ग) के निर्माणार्थ मांगी गई । फिर भी, आरंभिक कार्य जैसे सर्वेक्षण, रूपांकण एवं अन्वेषण कार्य, कर्मचारी आवासगृह निर्माण, पहुंच मार्ग, विद्युत जल आपूर्त्ति योजनाएँ 1981-82 में वन विभाग की जमीन अधिग्रहण किए बिना ही शुरू किए गए । फरवरी 1979 में सृजित 6 प्रमंडलों एवं एक अंचल में से 4 प्रमंडल एवं एक अंचल अतिरिक्त घोषित किए गए एवं ये अक्टूबर 1985 में

स्वर्ण रेखा परियेजना में स्थानान्तरित कर दिए गये । शेष केन्द्रीय जल आयोग की पृच्छाओं का उत्तर देने हेतु रोक लिया गया । कार्य अप्रैल 1988 में रोक दिया गया, कारण वन विभाग से जमीन का हस्तांतरण में और अधिक देर होने की सम्भावना थी, तब तक बाँध स्थल तक पहुँच पथ, अस्थायी कर्मचारी आवास गृह आदि कार्य प्रगति पर थे । वन एवं पर्यावरण विभाग ने जमीन का स्थानांतरण अस्वीकार कर दिया । परियोजना पर नवम्बर 1992 तक कुल 1123.47 लाख रूपये की राशि व्यय की गई जो निष्फल रहा । सरकर का उत्तर अप्राप्त था (4/94)

विभागीय स्पष्टीकरण:

योजना आयोग की सलाहकार समिति और केन्द्रीय जल आयोग द्वारा 28 नवम्बर 1980 का रू0 3,473.00 लाख की राशि के लिए मशान जलाशय योजना की क्लीयरेन्स स्वीकृति दी गयी । बिहार सरकार, जल संसाधन विभाग के पत्रांक 3505 दिनांक 27.7.81 द्वारा मशान जलाशय योजना की प्रशासनिक स्वीकृति रूपया 3473.00 लाख के लिए प्रदान की गयी और मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मोतिहारी के पत्रांक 3025 दिनांक 26.10.81 द्वारा योजना की तकनीकी स्वीकृति रूपया 3473.00 लाख मात्र की दी गयी ।

चूँकि योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जा चुकी थी, अतएव बाँध,स्पीलवे और नहरों के वास्तविक कार्यों के कार्यान्वयन हेतु इन्फास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए पहुँच मार्ग एवं कर्मचारी भवन का निर्माण बाँध एवं स्पीलवे स्थलों का अन्वेषण इत्यादि प्रारंभिक कार्यों का कराना आवश्यक था ।

इस बीच वर्ष 81 में योजना अधिकारियों द्वारा वन विभाग के 1420 हेक्टेयर भूमि के हस्तानान्तरण हेतु कार्रवाई की गयी और यह अनुमान किया गया कि योजना के वास्तविक कार्यान्वयन के लिए वन विभाग की जमीन उपलब्ध हो जायेगी । मशान जलाशय योजना का पूर्ण विवरण अर्जित किये जाने वाले वन विभाग की भूमि से संबंधित नक्शा एवं प्रतिवेदन के साथ कार्यपालक अभियंता मशान बाँध अन्वेषण प्रमंडल, बगहा के पत्रांक 462 दिनांक 18.9.81 द्वारा योजना निदेशक, चम्पारण वन योजना अंचल, पटना को समर्पित किया गया । तत्पश्चात् वन विभाग के पदाधिकारियों के इच्छानुसार विहित प्रपत्र में अनेकों प्रतिवेदन संबंधित पदाधिकारियों द्वारा समय-समय पर उन्हें प्रेपित किया गया । वन विभाग के पदाधिकारियों के आवश्यकतानुसार उनके द्वारा की गयी विभिन्न पृच्छाओं का उत्तर आवश्यक नक्शा एवं उपर्युक्त प्रतिवेदन के साथ समय-समय पर विभागीय पदाधिकारियों द्वारा वन विभाग को भेजा गया । कुछ पत्रों का प्रसंग अवलोकन हेतु मार्जिन में अंकित किया गया है (अ0अ0 का कार्यालय, शीर्ष कार्य अंचल, वाल्मीकिनगर का पत्रांक 92 दि0 20.4.81,260 दि0 30. 12.81, 4 दि0 9.2.82, 4 दि0 11.2.82, 39 दि0 4.8.82, 366 दि0 21.9.82, 502 दि0 21.10.82, 596 दि0 19.11.82, 641 दि0 3.12.82, 644 दि0 3.12.82, 687 दि0 16.12.82, 51 दि0 5.2.83, 144 दि0 13.9.85, 347 दि0 14.10.85, 252 दि0 1255 दि0 1.6.90, 996 दि0 4.2.89, 570 दि0 21.7.90) । मुख्य वन संरक्षक विभाग का पत्र दिनांक 27.2.86 जो प्रबंध निदेशक, पटना को प्रेपित है तथा प्रबंध निदेशक का पत्र जो परियोजना निदेशक, चम्पारण वन परियोजना अंचल, बेतिया को प्रेपित है, की प्रतियाँ प्रसंग हेतु संलग्न की जाती है । मशान जलाशय योजना के साथ योजना के लिए वन विभाग की जमीन के हस्तानान्तरण संबंधी विस्तृत माँग प्रतिवेदन और वन विभाग के 1420 हेक्टेयर हस्तानान्तरण हेतु प्रस्तावित भूमि के बदले जंगल लगाने के लिए क्षतिपूरक भूमि के संबंध मे विस्तृत प्रतिवेदन अधीक्षण अभियंता, शीर्ष कार्य अंचल, वाल्मीकिनगर के पत्रांक 1084 दिनांक 14.5.91 द्वारा परियोजना निदेशक, वन परियोजना अंचल, बेतिया एवं अन्य संबंधित पदाधिकारियों आवश्यक प्रतियों में समर्पित किया गया । तब से वन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा इस परियोजना के लिए वन की भूमि के हस्तानान्तरण के संबंध में कोई पृच्छा नही की गयी और सरकार के सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, बिहार सरकार, पटना द्वारा मशान बाँध योजना के लिए 1420 हेक्टेयर वन भूमि के हस्तानान्तरण के प्रस्ताव का उनके पत्रांक 981 ई दिनांक 5.6.92 में अस्वीकार कर दिये जाने की सूचना दी गयी । वन विभाग द्वारा एक मात्र आपत्ति की गयी कि संबंधित भूमि वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना के प्रतिबंधित क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ता हे किन्तु भूमि हस्तानान्तरण संबंधी नकारात्मक उत्तर की सूचना 11 (ग्यारह) वर्षो की लम्बी अवधि के बाद सिर्फ यह कहकर एक मात्र कारण के साथ दी गयी कि प्रस्तावित जमीन वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना के इस विलम्ब के कारण की जानकारी वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा ही दिया जा सकता है । यह सही हे कि वन विभाग के इच्छानुसार समय-समय पर विहत प्रपत्र मे उत्तर

एवं प्रतिवेदन देने के लिए प्रर्याप्त एवं त्वरित कार्रवाई विभाग द्वारा की गयी । इस लिए यह वन विभाग का दायित्व बनता है कि उनके द्वारा नकारात्मक उत्तर देने में इतना समय क्यों लगाया गया ।

मशान परियोजना के लिए वन भूमि के उपयोग करने की स्वीकृति वन विभाग से मिलने के पूर्व जल संसाधन विभाग द्वारा सृजित दो अंचलों एवं छः प्रमंडलों के औचित्य के संबंध में निम्नलिखित तथ्य विचारणीय है ।

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मोतिहारी के पत्रांक 3025 दिनांक 26.10.81 द्वारा मशान जलाशय योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी । योजना की प्रशासनिक स्वीकृति इत्यादि के विषय में विस्तृत जानकारी उपर के उदाहरण में दी गयी है । तकनीकी स्वीकृति प्रापत होने के पश्चात इस वृहद योजना के वास्तविक कार्यो को प्रारम्भ करने के पूर्व उससे संबंधित कुछ प्रारंभिक कार्य यथा पहुँच सड़क एवं कर्मचारी भवन का निर्माण और बाँध तथा स्पीलवे कार्य स्थल का सर्वेक्षण इत्यादि कार्यो को कराने के उद्देश्य से ही उक्त अंचलों एवं प्रमंडलों का सृजन किया गया । इस बीच वन भूमि के हस्तानान्तरण के लिए आवश्यक कार्रवाई विभाग द्वारा किया गया और यह आशा की गयी कि योजना का वास्तविक कार्य प्रारंभ होने के पूर्व वन भूमि का हस्तानान्तरण हो जायेगा । जल संसाधन विभाग इसके लिए समय-समय पर त्वरित कार्रवाइ का उल्लेख उपर के उदाहरणों में किया गया हे जिसका अवलोकन किया जा सकता है । जल संसाधन विभाग द्वारा जब यह अनुभव किया गया कि वन भूमि के हस्तानान्तरण मे विलम्ब होगा,तो वर्ष 1985 में अधिकाधिक स्थापना को दूसरी जगह स्थानान्तरित कर दिया गया और प्रारंभिक काय्र को भी 1988 से बन्द कर दिया गया ।

नवम्बर 1992 तक कार्य मयद में य0 231.32 लाख तथा स्थापना मद में रू0 892.15 लाख यानि कुल रू0 1123.47 लाख का व्यय किया गया । उप शीर्षवार व्यय की विवरणी परिशिष्ट-1 के पृष्ट- 1 से 4 में दी गयी है जिसे अवलोकन हेतु संलग्न किया जाता है ।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश

चूकि यह कंडिका काफी महत्वपूर्ण योजना से संबंधित है और काफी राशि इसमें व्यय हो चुका है इसलिए समिति इसमें इच्छा जाहिर करती है कि ए0जी0 द्वारा उठाए गए बिन्दुओं के आलोक में माननीय सिंचाई मंत्री जो वन विभाग के प्रभारी मंत्री भी है, माननीय सिंचाई मंत्री के सभा कक्ष में दोनों विभाग के पदाधिकारियों के साथ समिति की इस कंडिका पर संयुक्त बैठक आयोजित की जायेगी । अप्रैल के प्रथम सप्ताह में यह बैठक रखी जायेगी । इस कंडिका को स्थगित किया जाता है ।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1991-92 (सिविल) कंडिका-4.15

कंडिका 4.15 सिमेंट जमने के कारण क्षति

पश्चिमी नहर प्रमंडल झंझारपुर (मधुबनी) के विभागीय गोदाम में रखे 383.40 मैट्रीक टन सिमेंट (मूल्य 4.76 लाख रूपये) के संबंध में एक जन शिकायत के आधार पर कि बाजार में बेचने के लिए उसमें सिल्ट एवं बालू मिला दिया गया है, कार्यपालक अभियंता एवं अवर प्रमंडल पदाधिकारी झंझारपुर ने संयुक्त रूप से मई 1990 में गोदाम का निरीक्षण किया, जिसमें हाथ से सिले बालू के बोर गोदाम में पाये गये । गोदाम को मोहर बन्द कर दिया गया एवं कनीय अभियंता के विरूद्ध मई 1990 में प्राथमिकी दर्ज कराई गई । जुलाई 1992 तक आगे की प्रगति प्रतीक्षित है । जनवरी 1991 में कोर्ट के आदेश पर छान बीन पूरा नही किए जाने की स्थिति में गोदाम को अगस्त 1991 में खोल दिया गया । ऐसा देखा गया कि 271.4 मिट्रीक टन सीमेंट (5428बोरे) यातो पूरे रूप से या आंशिक रूप से जम गये है एवं 29.95 टन सीमेंट में मिलावट कर दिये गये थे । 301.35 टन सिमेंट की कुल लागत 4.10 लाख रूपये की राशि थी । छान बीन से पता चला कि गोदाम एक पूराने भवन में था, जिसकी छत फट गई थी और सतह क्षति ग्रस्त थी । इसके अलावे जनवरी 1991 में न्यायालय के आदेश के बावजूद भी असमान्य रूप से लम्बी अवधि के लिए गोदाम मोहरबन्द रखे गए इसके परिणाम स्वरूप 4.10 लाख रूपये की सिमेंट की क्षति हुई । सरकार का उत्तर अप्राप्त है ।(4/94)

विभागीय स्पष्टीकरण :

पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, झंझारपुर में सीमेंट की कमी एवं सीमेंट में राख इत्यादि मिलाने के लिये एक कार्यपालक अभियंता, एक सहायक अभियंता एवं एक कनीय अभियंता को निलंबित कर उन पर विभागीय कार्यवाही चलायी गयी । इसमें से कनीय अभियंता को विभागीय आदेश संख्या-512 दिनांक 2.6.97 के द्वारा सेवा से बर्खास्त कर दिया गया । अन्य दो पदाधिकारियों को भी दंडित किया गया (दंडादेश की प्रति संलगन) ।

श्री देवकृष्ण झा, तत्कालीन कनीय अभियंता, प0 कोशी नहर प्रमंडल, झंझारपुर को उक्त प्रमंडल के पदस्थापन अवधि में भंडार में रखे सीमेंट में बालू मिलाते समय संबंधित अनुमंडाधिकारी द्वारा रंगे हाथों पकड़े जाने के कारण विभागीय आदेश संख्या 206 दिनांक 27.7.90 द्वारा निलम्बित किया गया था । विभागीय संकल्प संख्या 1296 दिनांक 17.6.92 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई । विभागीय कार्यवाही के जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात मामले को सम्यक समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई एवं समीक्षोपरानत गोदाम में रखे सीमेंट मे बालू मिलाने सीमेंट गायब करने तथा सीमेंट सेट होने आदि के लिए दोषी पाया गया फलस्वरूप दंड देने का निर्णय लिया गया इसलिए विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन संलग्न करते हुये विभागीय पत्रांक 723 दिनांक 10.4.96 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गई इसके आलोक में प्राप्त जबाव एवं यह मामले की सम्यक समीक्षा की गई एवं उपरोक्त आरोपों के लिए दोषी पाया गया तथा सरकार को हुई क्षति की वसूली एवं सेवा समाप्ति के लिए लिये गये निर्णय से अवगत कराते हुये पुनः विभागीय पत्रांक 868 दिनांक 21.3.97 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गई । श्री झा से प्राप्त जबाव एवं मामले की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई एवं सीमेंट सेट होने आदि कतिपय अनियमितताओं के लिए दोषी पाया गया, फलस्वरूप श्री झा की सेवा बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया, तदनुरूप इस आदेश के निर्गत होने कयी तिथि से श्री झा को सेवा से बर्खास्त किया जाता है ।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभाग के कार्रवाई से समिति संतुष्ट है । अतः विभागीय उत्तर के आलोक में इसे समिति निष्पादति करती है ।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1991-92 (सिविल) कंडिका-4.17

कंडिका 4.17 परिवहन शुल्क मे परिहार्य व्यय

कार्यपालक अभियंता, सिचाई प्रमंडल, गुण्डु राँची ने अप्रैल 1987 एवं जून 1987 के बीच 22.78 लाख रूपये के भुगतान पर सिमेंट कारपोरेशन ऑफ इडिया से 2139.2 टन सिमेंट का क्रय किया । सिमेंट की कीमत में वाणिज्य कर, पैकिग खर्च, बिक्री कर, रेल भाड़ा इत्यादि शामिल था । अंकेक्षण (जून 1990) द्वारा अभिलेखों की छान बीन से यह पता चला कि कार्यपालक अभियंता सिंचाई प्रमंडल, गुण्डु राँची ने सितम्बर 1987 में 2139.2 टन सिमेंट की ढुलाई के लिए दक्षिणी पूर्वी रेलवे कलकत्ता को 3.80 लाख रूपये का भुगतान किया, इन पर आपत्ति किए जाने पर कार्यपालक अभियंता ने अगस्त 1992 में आपूर्त्ति कर्त्ता से 3.80 लाख रूपये की वापसी की प्रार्थना की, लेकिन नवम्बर 1992 तक उस रकम की वसूली नही हो सकी थी । इस प्रकार, कार्यपालक अभियंता द्वारा आपूर्त्ति आदेश की शर्तों का अनुपालन नही करने से 3. 80 लाख रूपये का परिहार्य व्यय हो गया । सरकार का उत्तर अप्राप्त हे (अप्रैल 1992)

विभागीय स्पष्टीकरण:

स0सं0-19/लोक-93/95 447 दिनांक- 3.2.98

निदेशानुसार प्रासंगिक विषय के संदर्भ में सूचित किया है कि आपके प्रतिवेदन वर्ष 91-92 की कंडिका-4.17 में सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से प्राप्त सीमेंट की ढुलाई के लिए दक्षिण पूर्व रेलवे को 3.8 लाख रूपये के भुगतान को परिहार्य व्यय माना जा रहा है ।

इस संबंध में मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची तथा निदेशक, क्रय एवं परिवहन, जल संसाधन विभाग बिहार, पटना से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है एवं इसपर अभियंता प्रमुख (दक्षिण) का भी मंतव्य प्राप्त किया गया है । निदेशक, क्रय एवं परिवहन ने अपने प्रतिवेदन में यह स्पष्ट किया है कि फरवरी 86 से नवम्बर 89 के अन्तराल में मेसर्स सी0सी0आई0 लिमिटेड से सीमेंट की आपूत्रि नही ली गई है जबकि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन की उल्लिखित कंडिका में अप्रैल 87 एवं जून 87 के बीच 22.78 लाख रूपये का भुगतान कर सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से 2139.2 टन सीमेंट क्रय किये जाने की बात कही गई है । अत: यह विन्दु निदेशक, क्रय एवं परिवहन से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में निराधार है

प्रतिवेदन के अनुवर्ती अंश में 3.8 लाख रूपये का भुगतान दक्षिण पूर्व रेलवे कलकत्ता को किये जाने का जो उल्लेख किया गया है वह राशि वस्तुत: ए0सी0सी0, झीकपानी, चाईबासा से क्रय किये गये सीमेंट के ढुलाई के विरूद्ध किया गया है । क्रयादेश की शर्तो में भी यह उल्लेख किया गया था कि ढुलाई पर हुए व्यय का वहन प्राप्तकर्ता को ही करना है अत: उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में किये गये व्यय को परिहार्य व्यय मानना उचित नही होगा ।

कार्यपालक अभियंता द्वारा अंकेक्षण आपर्ति उठाये जाने के कारण राशि की वसूली के संदर्भ में किया गया पत्राचार यह दर्शाता है कि संभवत: उन्होंने अंकेक्षण आपर्त्ति के निष्पादनहेतु तत्परता में इस प्रकार का पत्राचार कर दिया जबकि यह उन्हें अंकेक्षण आपत्ति के समय ही अंकेक्षण दल को बता देना चाहिए था कि आपत्ति में उल्लिखित अवधि में सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से सीमेंट की आपूर्ति ही नही ली गई थी ।

सुलभ निर्देश हेतु मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग,राँची से प्राप्त प्रतिवेदन तथा निदेशक, क्रय एवं परिवहन, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन तथा क्रयादेश की प्रतियाँ 35 प्रतियों में संलग्न की जा रही है ।

वर्णित स्थिति में आपत्ति को विलोपित करने की कृपा की जाय ।

दिनांक 27.11.86 द्वारा (6000+3000 =9000 नौ हजार मे0 टन) कुल नो हजार मे0 टन सीमेंट की आपूर्ति का क्रयादेश ए0सी0सी0 के चाईबासा वर्क्स झीकपानी को रेल भाड़ा ( ) भुगतान कर आपूर्ति लेने के सिद्धान्त के तहत क्रयादेश निर्गत किया गया था ।

(।।) क्रयादेश में उल्लिखित शर्तो के तहत् प्रमंडल द्वारा रेलवे को भाड़ा का भुगतान (3.8) लाख किया गया था जो हर तरह से क्रयादेशित शत्र के अनुरूप है । किसी भी तरह से यह अधिक भुगतान का मामला नही बनता है अत: वसूली का प्रश्न नही उठता है । चूँकि ए0जी0 के एडजस्टमेंट मैमो से यह स्पष्ट हो जाता है ।

(।।।) निदेशालय द्वारा तथाकथित क्रयादेश मेसर्स ए0सी0सी0 कम्पनी को निर्गत किया गया था । इस मामले को सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि0 से कोई ताल्लुक नही है । दिनांक फरवरी 86 से नवम्बर 89 के अन्तराल में सी0सी0आई0 से सीमें नही प्राप्त किया गया है ।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय उत्तर के आलोक में समिति इसे आगे नही बढ़ाना चाहती है ।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1991-92 (सिविल) कंडिका-4.18

कंडिका 4.18 सरकारी सामग्रियों की क्षति

कार्यपालक अभियंता सिंचाई प्रमंडल जामतारा (संथाल परगना) ने इस्पात टुकड़े की रिरॉलीग कर विभिन्न आयामों के इस्पात छड़ों में परिवर्तित करने एवं उसकी ढुलाई हेतु विभागीय गोदाम से मार्च 1983 (जून 1985 तक विस्तारित) गैर सरकारी अभिकरण को 569.26 इस्पात पट्टियों की आपूर्ति की । गैर सरकारी अभिकरण ने अगस्त 1982 में 10.28 लाख रूपये की लागत पर एकरारनामे के अनुसार रिरॉलीग के लिए इस्पात पट्टियों को जलाने के सिलसिले में 10 प्रतिशत का क्षति को होना स्वीकृत किया था अभिकरण ने 247.625 टन (272.387 टन इस्पात पट्टियों के बराबर) रिरॉल्ड इस्पात की सुपूर्दगी की (जून 1983 से अप्रैल 1988) जिसके विरूद्ध 6.18 लाख रूपये का भुगतान किया गया । फिर भी अभिकरण ने 728 लाख टन (कय मूल्य के आधार पर निकाला हुआ)रूपये की कीमत की अवशिष्ट 296.873 टन इस्पात पट्टियों

रख ली । कार्यपालक अभियंता ने प्राथमिकी दायर की (अगस्त 1990) । पुलिस छान बीन के परिणाम आने की प्रतीक्षा है । छानबीन (अगस्त 1991) से पता चला कि पेशगी के रूप में 0.21 लाख रूपये ही सुरक्षा जमा के रूप में लिया गया था । शेष चालु विपत्र से वसूल करना था जो नही किया गया । इस प्रकार, एकारनामें में सरकारी सामग्रियों की सुरक्षा का प्रावधान करने की व्यवस्था में विभाग की असफलता के कारण 7.28 लाख रूपये की क्षति हुई । सरकार का उत्तर अप्राप्त है । (4/94)

विभागीय स्पष्टीकरण:

सिंचाई प्रमंडल, जामताड़ा में मेसर्स अनिल इन्जिनियरिंग वर्क्स, गोविन्दपुर, धनबाद को 569.26 मे0 टन इन गॉट रो-रॉलिंग के लिए वर्ष 1983 में दिया गया था ।

2- फर्म ने 247.625 मे0 टन लौह- छड़ री-रॉलिंग के पश्चात दिया गया और शेष 264.709 मे0 टन लौह छड़ (294.12 मे0 टन इन गॉट के समतुल्य) फर्म को 31.3.83/30.6.85 तक देना था ।

3- मेसर्स अनिल इन्जिनियरिंग वर्क्स इस बीच बंद हो गया, जिसके विरूद्ध विभाग द्वारा मनीसूट सं0 2/95 दायर किया गया एवं माननीय उच्च न्यायालय में क्रिमिनल रीभीजन 320/94 दायर किया गया ।

4- इसमें उड़नदस्ता द्वारा जाँच भी करायी गयी और जिन पदाधिकारियों के समय में यह काम हुआ वे बहुत पूर्व में ही सेवा निवृत हो गये या मृत हो गये अतएव तकनीकी आधार पर कार्रवाई संभव नही हो पाया । मात्र 2 पदाधिकारियों को डिपार्टमेंटल प्रोसिडिंग के बाद दोष मुक्त किया गया ।

5- अत: विभाग द्वारा इसमें समुचित कार्रवाई की गयी ।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय कार्रवाई से समिति संतुष्ट है । अत: विभागीय उत्तर के आलोक में इसे निष्पादित करती है ।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1991-92 (सिविल) कंडिका-4.19

कंडिका 4.19 अतिरिक्त दायित्व

डकरानाल पम्प नहर, मूंगेर के आर.डी. 94 पर लाईनिंग कार्य के लिए ईट खपरे के उत्पादन एवं आपूर्त्ति के लिए अक्टूबर 87 में निविदा आमंत्रित की गई । प्राप्त 3 निविदाओं में 2 ने प्राक्कलन से 1.5 प्रतिशत नीचे की दर पेश की। फिर भी अधीक्षण अभियंता गंगा पम्प नहर अंचल, मूंगेर ने निम्नतम दर दाता द्वारा दी गई दर को नजर अंदाज करते हुए द्वितीय एवं तृतीय दर दाताओं को 28.19 प्रतिशत प्राक्कलन से उपर समझौते की दर पर प्रत्येक को 50 प्रतिशत कार्य आवंटित कर दिया । छान बीन (जुलाई 1990) से पता चला कि निम्नतम दर दाता को अधीक्षण अभियंता के साथ दर तय करने के समय अनुपस्थित होने के फलस्वरूप उनकी निविदा को रद्द करने का कारण बतलाया गया । फर्म एक पंजीकृत एस.एए.आई. इकाई था और जिसने पहले ही प्राक्कलन से 1.5 प्रतिशत निम्न दर दे दिया था एवं निविदा पत्र के साथ साथ सभी दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए थे । फिर भी संहिता के प्रावधान के अनुसार प्राक्कलन से जब बहुत अधिक दर दे दिया जाता हे तभी बात चीत से दर तय करने का प्रश्न उठता है । इस प्रकार द्वितीय एवं तृतीय निम्नतर निवेदकों को प्राक्कलन से 28.19 प्रतिशत उपर दर पर कार्य आवंटित करने व प्राक्कलन से 1.5 प्रतिशत दिए गए, निम्नतर दर को नजर अंदाज करने के फलस्वरूप 4.07 लाख रूपये का अतिरिक्त दायित्व सृजन हुआ । सरकार का उत्तर अप्राप्त है (4/94.)

विभागीय स्पष्टीकरण:

डकरानाला पम्प नहर, मुंगेर के कार्यान्वयन में भारी पैमाने पर अनियमितता बरतने के लिये अधीक्षण अभियंता को निलंबित कर, विभागीय कार्यवाही चलाई गयी ।
उन्हें विभागीय आदेश संख्या- 103 दिनांक 7.5.92 तथा बाद में आदेश संख्या-48 दिनांक 12.1.96 के द्वारा दंडित किया गया (दंडादेश की प्रति संलग्न) ।
अत: विभाग द्वारा इस पर समुचित कार्रवाई की गयी है ।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश
विभागीय उत्तर से समिति संतुष्ट होकर इस कंडिका को निष्पादित करती है ।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1991-92 (सिविल) कंडिका-4.20

कंडिका 4.20 निम्नतम निवेदित दर की अस्वीकृति के फलस्वरूप कीमत में वृद्धि
कार्यपालक अभियंता, जल पथ प्रमंडल सं0-1, गुमला द्वारा कटरी जलाशय योजना के मिट्टी बाँध निर्माणार्थ 10/86 में खुली निविदाएँ आमंत्रित की गई । कार्य के विभिन्न अवयवों की प्राक्कलित कीमत से उपर उसे 4.8 प्रतिशत दर पर एक सरकारी कम्पनी बिहार राज्य निर्माण निगम ने अपना दर पेश किया । दूसरे संवेदकों ने प्राक्कलन में 13.3 प्रतिशत से 15 प्रतिशत नीचे की दर प्रस्तुत किया । इस प्रकार, दूसरे अभिकरणों के द्वारा दिए गए कुल 601.9 लाख रूपये की राशि के विरूद्व निगम द्वारा 735.59 लाख रूपये दिये गये ।

जुलाई 1986 में विभाग ने निश्चय किया कि खुली निविदा की अवस्था में जहाँ निगम ने भाग लिया है, अब से कोई रियायत नही दी जाएगी और कार्य निम्नतम निवेदकों को आवंटित कर दिया जाएगा । इस नियम का उल्लंघन करते हुए सभी श्रेणियों के कार्य 735.59 लाख रूपये की लागत पर 1986 में मुख्य अभियंता ने मार्च 1988 तक कार्य समाप्ति की तिथि निर्धारित करते हुए, निगम को कार्य का आवंटन कर दिया । मुख्य अभियंता ने कहा कि उन्होंने कार्य निगम को इसलिए सौप दिया क्योंकि आवंटित करने के दिन तक विभाग द्वारा उन्हें कोई पत्र नही मिला था । यद्यपि कि 700.49 लाख रूपये निगम को पहले ही भुगतान कर दिया गया था लेकिन कार्य नही पूरा किया जा सका । जल निर्गमन मार्ग नदी में मिट्टी बाँध का निर्माण कार्य जलाशय क्षेत्र में भू-अधिग्रहण नही होने के कारण नही किया जा सका । इस प्रकार, मुख्य अभियंता द्वारा निम्नतम निविदाताओं को अस्वीकार किए जाने के परिणाम स्वरूप 134.50 लाख रूपये की अतिरिक्त कीमत लगी । सरकार से उत्तर अप्राप्त है (4/94)

विभागीय स्पष्टीकरण:

आपत्ति है कि कतरी जलाशय योजना के मिट्टी बाँध निर्माण कार्य बिहार राज्य निर्माण निगम को प्राक्कलित दर से 4.8 प्रतिशत अधिक दर पर आवंटन के फलस्वरूप रू0 134.50 लाख की अतिरिक्त कीमत लगी । जुलाई, 86 में विभाग का यह निश्चय की खुली निविदा की अवस्था में निगम को अब रियायत नही दी जाएगी । इस संबंध में मुख्य अभियंता से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया जिस पर अभियंता (प्रमु0) का मंतव्य प्राप्त किया गया ।
मुख्य अभियंता के पत्रांक-1391 दिनांक 15.4.96 द्वारा बिहार राज्य निर्माण निगम को कार्य आवंटित करने का निम्न आधार दिया गया है ।
1- विभागीय पत्रांक-534 दिनांक 27.1.86
2- कार्य की स्वीकृति की संसूचना तत्कालीन अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, सिंचाई विभाग के पत्रांक-86 दिनांक 6.6.87

3- कार्य आवंटित किए जाने तक मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग (गोपनीय कोषांग) का संकल्प संख्या-948 दिनांक 16.7.86 का अप्राप्त रहना ।

4- निगम को इस प्रकार आश्रय प्रसंग देने की बात संकल्प संख्या 948 दिनांक 16.7.86 में निहित है ।

चूँकि निर्माण निगम को कार्य आवंटन में विभागीय पत्र के आलोक में कार्रवाई की गयी है जिसकी स्वीकृति तत्कालीन अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त -सह विशेष सचिव की ओर से संसूचित है । अत: आपत्ति विलोपित करने का पर्याप्त कारण प्रतीत होता है ।

जहाँ तक बिहार राज्य निर्माण निगम को निविदित दर से 4.8 प्रतिशत अधिक दर पर कार्य आवंटन करने का प्रश्न है जिस समय यह कार्य बिहार राज्य निर्माण निगम को आवंटित किया गया था उस समय न्यूनतम निविदित दर से 5 प्रतिशत अधिक दर तक निगम द्वारा कार्य करने की बात सरकार द्वारा अनुमोदित थी । चूँकि निगम विभाग का ही एक अंग है । अत: इस समय कयसे नीतिगत निर्णय के आलोक में किसी प्रकार की अनियमितता नही बरती गई है ।

अत: उपरोक्त परिपेक्ष्य में कंडिका विलोपित करने की अनुशंसा की जाती है ।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय उत्तर के आलोक में समिति इसे आगे नही बढ़ाना चाहती है ।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1991-92 (सिविल) कंडिका-4.21

कंडिका 4.21 संवेदकों के लिए अनुचित आर्थिक सहायता

पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, खुटौना में शीर्ष नियामक सह अनुप्रस्थ नियामक के निर्माण से संबधित कार्यो को करने के लिए 1984-85 एवं 87-88 के बीच दो संवेदकों के साथ तीन तरह के कार्यो के लिए 52.70 लाख रूपये की प्राक्कलित राशि से 5 से 18 प्रतिशत ऊँची दर पर एकरारनामा किया गया । उपरोक्त कीमत में सामग्रियों जो विभाग द्वारा आपूरित होनी थी, की कीमत (19.87लाख रूपये) शामिल थी, की वसूली बढ़े हुए दर पर संवेदकों के चालू विपत्रों से की जानी थी । ऐसा देखा गया (फरवरी 1991)कि विभाग द्वारा सामानों की कटौती, बिना किसी परिवर्तन के आपूर्त्ति के निर्गत दर पर की गई । इसके विरूद्ध सरकार द्वारा आपूरित सामानों की 19.87 लाख रूपये की कीमत सहित सम्पूर्ण प्राक्कलित राशि पर बढ़ोतरी का भुगतान कर दिया गया । विभाग द्वारा एकरारनामें में 5 से 18 प्रतिशत की बढ़ोतरी आपूरित सरकारी सामानों पर अदेय होने के प्रावधानों को संविदा में नही शामिल करने की असफलता के परिणम स्वरूप अतिरिक्त भुगतान एवं 3.22 लाख रूपये की राशि का संवेदक को आवंटित मदद पहुंचायी गयी । सरकार का उत्तर अप्राप्त है ।(4/94)

विभागीय स्पष्टीकरण:

प्राक्कलन में विभाग द्वारा आपूरित की जाने वाली सामग्री एवं मजदूर दोनों ही मद साथ सम्मिलित थे । अत: उसी सम्मिलित दर को आधार मानकर निविदा में संवेदक से दर माँगा गया था । संवेदक को आपूरित की जाने वाली सामग्रियों के मूल्य की वसूली हेतु कटौती दर का निर्धारण वास्तविक क्रय दर एवं भंडारण व्यय के आधार पर तैयार किया गया, जो निविदा सूचना में था और इसी के अनुरूप एकरारनामा में अंकित दर से की जाती ।

2. संवेदक किसी भी निविदा में निविदा सूचना की शर्त्तों को देखकर ही अपना दर अंकित करते है । यदि अंकित दर के आधार पर मेटेरियल कम्पोनेन्ट्स पर भी कटौती दर बढ़ाने का प्रावधान निविदा में होता, तो संभव है कि संवेदक द्वारा कोई अधिक दर अंकित किया जाता ।

3. अत: उपरोक्त के आलोक में विभागीय सामग्रियों की जो कटौती की गयी है, वह एकरारनामा के अनुरूप था । अत: क्षति की बात नही है ।

4. अनुरोध है कि सी0ए0जी0 पारा को विलोपित करने की कृपा की जाय ।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश
विभागीय उत्तर के आलोक में समिति इसे आगे नही बढ़ाना चाहती है ।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1991-92 (सिविल) कंडिका-5.2

कंडिका 5.2 भंडार सामग्रियों के कमी के कारण क्षति
सिंचाई प्रमंडल, गुण्डु राँची में संबद्ध एक कनीय अभियंता को प्रमंडल से जून 1988 में तबादला कर दिया गया । अपने उत्तराधिकारी को प्रभार सौपे बिना एक वर्ष से अधिक समय के बाद वे विरमित कर दिए गये । कनीय अभियंता के अधीन 4 गोदामों को मोहरबन्द कर दिया गया एवं अक्टूबर 1989 तथा फरवरी 1990 के बीच अधीक्षण अभियंता, जल पथ अंचल, राँची के पहल पर भंडार सामग्रियों का भौतिक सत्यापन किया गया । भौतिक सत्यापन में 8.75 लाख रूपये राशि का सिमेंट, एम0एस0 छड़ एवं जी0 आई0 चदरे जैसे भंडार सामग्रियों की कमी का पता चला । मुख्य अभियंता, जल संसाान विभाग राँची के पहल पर, विभागीय जांच पड़ताल शुरू की गई (मई 1990) । विभागीय कार्रवाई के परिणाम की प्रतिक्षा थी (फरवरी 1993)
भंडार सामानों के वार्षिक भौतिक सत्यापन एवं प्रभावी कनीय अभियंता द्वारा अपने उत्तराधिकारी को उचित प्रभार दिये जाने के संहिता वृद्व प्रावधान के अनुपालन नही होने से समय पर सामानों की कमी का पता लगाना संभव नही हो सका । सरकार को 2/93 में सूचित किया गया उत्तर अप्राप्त है (4/94)

विभागीय स्पष्टीकरण:

सिंचाई प्रमंडल, मुण्डू में सीमेंट की कमी के लिए एक कनीय अभियंता को निलंबित किया गया एवं अन्य 2 पदाधिकारियों के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई की गयी, तत्पश्चात इन्हें विभागीय आदेश संख्या 234 दिनांक 21.8.2001,235 दिनांक 21.8.2001 एवं 236 दिनांक 21.8.2001 द्वारा दंडित किया गया, जिसमें वसूली का दण्ड भी सन्निहित है ।

2. भुण्डू थाना में क्रिमिनल केस संख्या-11/93 दिनांक 6.2.93 भी दायर है ।

3. अत: विभाग द्वारा इसमें समुचित कार्रवाई की गयी ।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश
समिति विभागीय उत्तर से संतुष्ट होकर इस कंडिका को निष्पादित करती है ।

Abstract of Expenditure
कार्यमद में उक्तशीर्षवारं विवरणी

Sl. No.	Name of Sub Head	Total Expenditure (Lacs)	Name of Work
1.	A - Priliminary	23.72	प्रारंभिक सर्वे कार्य में खर्च किया गया।
2.	B- Land	5.655	प्रारंभिक कार्य हेतु पथ एवं भूअर्जन
3.	F.C.D.	0.480	पहुँच पथ के हेतु
4.	K - Building	32.481	पुलिया का निर्माण कर्मचारियों एवं पदा० के लिए शिविर निर्माण हेतु
5.	O - Miscellaneous	15.050	नि० वाहन के खरीद एवं संधारण।
6.	P - Maintenance	8.420	शिविर पथ के मरम्मति एवं संधारण।
7.	Q - Special T.P.P.	11.336	
8.	R - Communication	68.080	वगहा से वनवारी एवं वनवारी से रामनगर तक पहुँच पथ के निर्माण हेतु
9.	III - T.P.P.	8.527	सर्वे सामग्री कार्यालय उपस्कर के खरीद एवं रख-रखाव
10.	IV - S.P.	65.813	
	Total	**232.5111**	
	Deduct - R.R.	**1.195**	
	Granad Total	**231.319**	

Say 231.32 Lacs

कार्यपालक अभियंता
मरूज नगर प्र०स० - 1
रामनगर

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

आदेश सं० : 22/नि०सिं०रा०15-155/94 339 पटना, दिनांक 30.10.2000

आदेश

श्री योगेन्द्र प्रसाद सिंह, तत्कालीन कनीय अभियंता (यांत्रिक)कोनार नहर प्रमंडल, डुमरी(सम्प्रति निलंम्बित) को कतिपय अनियमितत्) के आरोप में विभागीय आदेश सं०-941दिनांक 15.10.87 द्वारा आदेश निर्गत की तिथि से निलंबित किया गया। श्री सिंह के विरूद्ध विभागीय संकल्प सं०-2047 दिनांक 19.9.91 द्वारा सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अमोल) नियमावली के नियम-55 के तहत स्थानीय कार्यवाही संचालित किया गया। संचालन पदाधिकारी की सेवा निवृत्ति तक जांच सम्पन्न नहीं होने के कारण विभागीय आदेश सं० - 257 दिनांक 5.2.98 द्वारा जाँच पदाधिकारी एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी पुन: नियुक्त किया गया। प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के पदोन्नति हो जाने के कारण पुन: विभाग के आदेश सं० 479 दिनांक23.3.98 द्वारा दूसरे पदाधिकारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में आरोप प्रमाणित पाये गये एवं इस पर तथ्यक समीक्षा सरकार द्वारा की गयी। समीक्षोपरान्त श्री सिंह, के विरूद्ध आरोप प्रमाणित पाये जाने के कारण उन्हें सेवा से बर्खास्त करने तथा निलम्बन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरक्त कुछ भी देय नहीं होगा, का निर्णय लिया गया। विभागीय कार्यवाहीं के निष्पादन के क्रम में गुरू दण्ड संसचूति करने के पूर्व विभागीय पत्रांक-1467 दिनांक 3.7.99 द्वारा उनसे द्वितीय करण पृच्छा पूछा गया। श्री सिंह को द्वितीय कारण पृच्छा के साथ संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की प्रति तथा प्रमाणित आरोप की सूचना भी दी गई।

श्री सिंह, कनीय अभियंता (याँ०नि०) से अभी तक द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर प्राप्त नहीं होने के कारण मामले की पुर्नसमीक्षा सरकार के स्तर पर की गई तथा निम्नांकित आरोप प्रमाणित पाया गया है :-

1. कोनार नहर प्रमंडल, डुमरी के अधीन पदस्थापन काल (वर्ष 87-88) में डोरियो, चैनपुर एवं डुमरी स्थित विभागीय गोदामों के प्रभारी के रूप में उक्त तीनों गोदामों से 5745 बोरा सीमेंट गायब करना जिसकी कीमत 3,15,975/-रूपये था।

2. जुलाई 87 के अन्त तक 45,584.67 रूपये अस्थाई अग्रिम की राशि अप्रैल 87 के बाद ली गई। अग्रिम का लेखा समय पर समर्पित नहीं करना।

3. अनेक निर्देशों के बावजूद मई 87 में भंडार सेवा, यंत्र संयंत्र-लेखा एवं अन्य लेखाओं को सहायक अभियंता, डुमरी को समर्पित नहीं करना।

4. भौतिक सत्यापन का प्रतिवेदन दिनांक 1.9.87 को समर्पित किये जाने के बाद से ही बिना पूर्वानुमति या सूचना के अनाधिकृत रूप से मुख्यालय से अनुपस्थित रहना।

5. 5745 बोरा सीमेंट गबन करने की नीयत से सीमेंट का मासिक प्रतिवेदन का झूठा अभिलेख तैयार करना।

उपर्युक्त प्रमाणित आरोप के लिए श्री सिंह को दोषी पाये जाने के फलस्वरूप सरकार के द्वारा निम्नांकित दंड संसूचित करनेका निर्णय लिया गया है:-

1. सेवा से बर्खास्त (Dismissal from Service)

2. निलम्बन अवधि के लिए जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा।

अतएव श्री योगेन्द्र प्रसाद सिंह, कनीय अभियंता (यांत्रिक) नि० को आदेश निर्गत को तिथि से उपर्युक्त निर्धारित दण्ड संसूचित किया जाता है।

(इन्दु भूषण कुमार)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक - 1270 पटना, दिनांक 30.10.2000

प्रतिलिपि श्री योगेन्द्र प्रसाद सिंह, कनीय अभियंता,(यांत्रिक)नि० द्वारा कार्यपालक अभियंता, कोनार नहर प्रमंडल, डुमरी/सभी अभियंता प्रमुख जल संसाधन विभाग/ सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग/अवर सचिव (श्री चन्द्रशील गुप्ता)जल संसाधन विभाग, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी 11.13, जल संसाधन विभाग, पटना/प्रभारी बायोडाटा कोषांग (क०अ०) जल संसाधन विभाग,पटना/प्रभारी,कम्प्यूटर कोषांग, जल संसाधन विभाग, पटना/ अधीक्षण अभियंता, जल पथ अंचल हजारीबाग/कार्यपालक अभियंता, कोनार नहर प्रमंडल डूमरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(इन्दु भूषण कुमार)
सरकार के अवर सचिव

बिहार सरकार
जल संसाधन (सिंचाई) विभाग

सं०सं०-22/नि.सि. (दर) 16-1058/96 :-512 दिनांक 2.6.97

आदेश

श्री देवकृष्ण झा, तत्कालीन कनीय अभियंता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, झंझारपुर उक्त प्रमंडल के पदस्थापन अवधि में भंडार में रखी सीमेन्ट में बालू मिलाते समय संबंधित अनुमंडलाधिकारी द्वारा रंगे हाथ पकड़े जाने के कारण विभागीय आदेश सं० 206 दिनांक 27.7.90 द्वारा निलम्बित किया गया था। विभागीय संकल्प सं० 1296 दिनांक 17.6.92 द्वारा विभागीय कार्रवाही प्रारम्भ की गई। विभागीय कार्यवाही के जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् मामले की सम्यक समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई एवं समीक्षोपरान्त गोदाम में रखे सीमेन्ट में बालू मिलाने, सीमेन्ट गायब करने तथा सीमेन्ट सेट होने आदि के लिए दोषी पाया गया। फलस्वरूप दंड देने का निर्णय लिया गया। इसलिए विभागीय कार्यवाही का जांच प्रतिवेदन संलग्न करते हुये विभागीय पत्रांक 728 दिनांक 10.4.96 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गई। इसके आलोक में प्राप्त जवाब एवं मामले की सम्यक समीक्षा की गई एवं उपरोक्त आरोपों के लिए दोषी पाया गया तथा सरकार को हुई क्षति की वसूली एवं सेवा समाप्ति के लिए लिये गये निर्णय से अवगत कराते हुये पुन: विभागीय पत्रांक 868 दिनांक 21-3-97 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गई। श्री झा से प्राप्त जबाव एवं मामले की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई एवं समीक्षोपरान्त गोदाम में सीमेन्ट में बालू, सीमेन्ट गायब करने एवं सीमेन्ट सेट होने आदि कतिपय अनियमितताओं के लिए दोषी पाया गया, फलस्वरूप श्री झा की सेवा बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया, तदनुरूप इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से श्री झा को सेवा से बर्खास्त किया जाता है।

ह०/-

(बी० बी० पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव-सह-मुख्य निगरानी पदाधिकारी

ज्ञापांक- 1713 पटना, दिनांक 21.6.97

प्रतिलिपि अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त विशेष सचिव/अवर सचिव, प्रबंधन कोषांग, जल संसाधन विभाग/ सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार / श्री देवकृष्ण झा, कनीय अभियंता (नि०) द्वारा मुख्य अभियंता, जल संसाधन, समग्र योजना, पटना/प्रशाखा-7, 9, 10, 12, 13 एवं 22 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संबंधित नियंत्रण पदाधिकारी आदेश का कार्यान्वयन सुनिश्चित करायेंगे।

(बी० बी० पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव-सह-मुख्य निगरानी पदाधिकारी

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

सं०-22/नि.सि. (दर) 16-1058/96:-197 पटना, दिनांक 21-3-97

आदेश

श्री मो. गुलाम हैदर तत्कालीन सहायक अभियंता, पश्चिमी कोशी नहर अवर प्रमंडल सं०-4, झंझारपुर को उक्त अवर प्रमंडल के पदस्थापन अवधि मे सीमेन्ट सेट करने/सीमेन्ट भंडारण आदि में कतिपय अनियमितताओं के लिए विभागीय आदेश सं०-167 दिनांक 3.5.93 द्वारा निलम्बित किया गया। विभागीय आदेश संख्या-377 दिनांक 23.7.93 द्वारा निलम्बन से मुक्त किया गया। लेकिन विभागीय संकल्प संख्या 2762 दिनांक 1.10.93 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई। विभागीय कार्यवाहीं के जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उसका सम्यक समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई तथा लिये गये निर्णय के आलोक में विभागीय कार्यवाही के जाँच प्रतिवेदन संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक 729 दिनांक 10.4.96 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गई। इसका जबाव श्री हैदर से प्राप्त होने के पश्चात् मामले की सम्यक समीक्षा की गई एवं उपरोक्त आरोपों के लिए दोषी पाया गया फलस्वरूप दण्ड देने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार श्री हैदर को निम्नांकित दण्ड संसूचित किया जाता है:-

(1) "निन्दन" जिसकी प्रविष्टि उनके चारित्री वर्ष 1989-89 में की जायेगी।

(2) निंलम्बन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अलावे कुछ भी देय नहीं होगा। लेकिन पेंशनादि के लिए इसे कर्तव्य पर माना जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
(बी०बी० पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-872 पटना, दिनांक 21-3-1997 ई.

प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना/ वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग/संयुक्त सचिव, प्रबंधन कोषांग जल संसाधन विभाग, पटना/ सभी मुख्य अभियंता जल विभाग, बिहार /श्री गुलाम हैदर, सहायक अभियंता, समग्र योजना एवं रूपांकन प्रमंडल -1 विस्कोमान टावर, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा 5, 7, 8, 9, 12, 13 एवं 22 में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(बी०बी० पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

सं० - 22/नि.सि. (दर) 16-1058/96- 706 पटना, दिनांक: 20-05-98

आदेश

श्री जय कान्त झा, समकालीन कार्यपालक, अभियंता, पश्चिमी कोशी नगर प्रमण्डल, झंझारपुर को उक्त प्रमण्डल के पदस्थापन अवधि में वरती गई अनियमितता के लिये विभागीय अधिसूचना संख्या-2597 दिनांक 30-11-95 तथा विभागीय आदेश सं०-25 दिनांक 14-2-96 द्वारा दंड संसूचित किया गया था। उक्त अध्यादेश के विरूद्ध श्री झा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में सी० डब्लू०जे०सी० संख्या-2397/97 दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14-7-90 द्वारा पारित आदेशानुसार दिनांक 14-2-97 को निर्गत विभागीय आदेश को निरस्त कर दिया गया तथा विभागीय कार्यवाही की जाँच प्रतिवेदन की प्रतिलिपि अधीक्षक को उपलब्ध कराकर अपना मधन पथ पदच्युत करने का मौका देते हुए ....की पुनः ..... स्वतंत्रता दी गई। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार विभागीय पत्रांक-3189 दिनांक 1.12.97 द्वारा विभागीय कार्यवाही के जाँच प्रतिवेदन आवदेक को उपलब्ध कराकर निर्धारित .. .. में उत्तर की मांग की गई। आवेदककर्ता श्री झा से प्राप्त उत्तर की सम्यक समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई और समयोपरांत विभागीय आदेश संख्या 25 दिनांक 15.2.96 को रद्द करने का निर्णय लिया गया। .... किया जाता है।

श्री जय कान्त झा, समकालीन कार्यपालक अभियंता, पश्चिमी कोशी नगर प्रमण्डल, झंझारपुर को ..... सिमेन्ट के सेट होने के लिय उत्तरदायी पाया गया। 433 बोरे सिमेन्ट सेट होने के लिए कुल ..... की राशि ..... 20,000 रूपया के ..... अर्थात ..... 9,000 (नौ हजार रूपये मात्र) की वसूली का निर्णय लिया गया। तदनुसार श्री झा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता से ..... की राशि मात्र ..... 9,000 की वसूली उनके ..... के फलस्वरूप से देय राशि से एक मुश्त की जाएगी।

(बी०बी० पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-10663 दिनांक 20-05-1998 ई.

प्रतिलिपि संयुक्त सचिव, प्रबंधन कोषांग, जल संसाधन / श्री डी०के० श्रीवास्तव, उप सचिव, प्रबंधन कोषांग/जल संसाधन विभाग तथा श्री जय कान्त झा, सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता, फ्लैट संख्या-91, कंकड़बाग कॉलोनी, पटना-20 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(बी०बी० पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 91 - 92 (सिविल) की कंडिका 4.17 का उत्तर प्रारूप

1. कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल नुन्डू (राँची) को निदेशक, क्रय एवं परिवहन, जल संसाधन विभाग, पटना के निम्नांकित पत्रांक द्वारा रेल भाड़े का भुगतान कर आपूर्ति लेने के शर्त्त के तहत् (Frieght to pay basis) सीमेंट का क्रयादेश निर्गत किया गया था।

	क्रयादेश सं0 एवं तिथि	मात्रा मे० टन में	कम्पनी का नाम
(क)	255 दिनांक 29.9.86	3000 मे०	ए.सी.सी झींकपानी (चाईबासा)
(ख)	288 दिनांक 27.11.86	6000 मे०टन	वही वही वही
	कुल	9000 मे० टन	

2. क्रयादेश में उल्लिखित शर्त्तो के तहत् ही प्रमंडल द्वारा रेलवे को भाड़ा का भुगतान (3.8 लाख) किया गया था, जो हर तरह से क्रयादेशित शर्त्त के अनुरूप है। किसी भी तरह से यह अधिक भुगतान का मामला नहीं बनता है। अत: वसूली का प्रश्न ही नहीं उठता है जिसकी पुष्टि ए०जी० के एडजस्टमेंट मेमो से होती है। साथ ही, क्रयादेश सं०-255 दिनांक 29-9-86 एवं 288 दिनांक 27-11-86 (प्रतिलिपि संलग्न) के क्रमश: अंश 'क' एवं 'ख' से भी स्पष्ट है।

3. निदेशालय द्वारा उपरोक्त आदेश मेसर्स ए०सी०सी० लि० को ही निगर्त किया गया था। संबंधित मामले को सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि० से कोई ताल्लुक नहीं है। फरवरी 86 से नवम्बर 89 के अन्तराल मेसर्स सी०सी० आई० लि० से सीमेंट की आपूर्ति नहीं ली गई है।

(के०बी० हाजरा)
निदेशक, क्रय एवं परिवहन
जल संसाधन विभाग, बिहार
पटना।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 91 - 92 (सिविल) की कंडिका 4.20

प्रतिवेदन

आपत्ति है कि कतरी जलाशय योजना के मिट्टी बाँध निर्माण कार्य बिहार राज्य निर्माण की प्राक्कलित दर से 4.8 प्रतिशत अधिक दर पर आवंटन के फलस्वरूप रू० 134.50 लाख की अतिरिक्त कीमत लगी। 1 जुलाई, 86 में विभाग का यह निश्चय को खुली निविदा की अवस्था में निगम को अब रियायत नहीं दी जायेगी। इस संबंध में मुख्य अभियंता से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया जिस पर अभियंता (प्रमु०) को मंतव्य प्राप्त किया गया।

मुख्य अभियंता के पत्रांक-1391 दिनांक 15-4-96 द्वारा बिहार राज्य निर्माण निगम को कार्य आवंटित करने का निम्न आधार दिया गया है।

1. विभागीय पत्रांक-534 दिनांक 27-1-86

2. कार्य की स्वीकृति की संसूचना तत्कालीन अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, सिंचाई विभाग के पत्रांक-86 दिनांक 6-6-87 ।

3. कार्य आवंटित किए जाने तक मंत्रीमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग (गोपनीय कोषांग) का संकल्प संख्या-948 दिनांक16-7-86 का अप्राप्त रहना।

4. निगम को इस प्रकार आश्रय प्रकार्य देने की बात संकल्प संख्या-948 दिनांक 16-7-86 में निहित है।

चूँकि निर्माण निगम को कार्य आवंटन में विभागीय पत्र के आलोक में कार्रवाई की गयी है। जिसकी स्वीकृति तत्कालीन अभियंता प्रमुख सह-अपर-आयुक्त सह विशेष सचिव की ओर से संसूचित है। अत: आपत्ति विलोपित करने का पर्याप्त कारण प्रतीत होता है।

जहाँ तक बिहार राज्य निर्माण निगम को निविदित दर से 4.8 प्रतिशत अधिक दर पर कार्य आवंटन करनेका प्रश्न है जिस समय यह कार्य बिहार राजय निर्माण निगम को आवंटित किया गया था, उस समय न्युनतम निविदित दर से 5 प्रतिशत अधिक दर तक निगम द्वारा कार्य करने की बात सरकार द्वारा अनुमोदित थी। चूँकि निगम विभाग का ही एक अंग है।

अत: इस समय के नीतिगत निर्णय के आलोक में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं बरती गई है।

अत: उपरोक्त परिपेक्ष्य में कंडिका विलोपित करने की अनुशंसा की जाती है।

मणिकान्त आजाद
अभियंता-प्रमुख (दक्षिण)

पत्र संख्या 2/अंके०-1-16017/93-1391

मुख्य अभियंता का कार्यालय
जल संसाधन विभाग, डोरण्डा राँची

प्रेषक,

श्री रामनाथ प्रसाद
मुख्य अभियंता

सेवा में,

सचिव,
जल संसाधन विभाग,
सिंचाई भवन, पटना-15

ध्यानाकर्षण : **श्री एच० सी० मिश्रा**
अपर सचिव

राँची, दिनांक 15 अप्रैल, 1996

विषयः भारत के नियत्रंक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन वर्ष 1991-92 (सिविल) की कंडिका-4.20) कतरी जलाशय योजना।

महाशय,

उपर्युक्त विषय पर उत्तर प्रतिवेदन तैयार कर आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न किया जा रहा है। अनुशंसा की जाती है कि दिये गये उत्तर के आलोक में इसे विलोपित कराने की कृपा की जाय।

अनु०:- यथोक्त ।

विश्वासभाजन

मुख्य अभियंता
जल संसाधन विभाग, रांची

कतरी जलाशय योजना के मिट्टी बाँध निर्माण कार्य पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन वर्ष 91-92 (सिविल) की कण्डिका - 4.20 का प्रतिवेदन।

प्रसंगाधीन कण्डिका में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा यह आपत्ति उठाई गयी है कि कतरी जलाशय योजना का कार्य नौ समूहों में बांटकर बिहार राज्य निर्माण निगम को दिसम्बर, 86 में आवंटित किये जाने के फलस्वरूप 134.50 लाख रू० की अतिरिक्त परिहार्य दायित्व का वहन करना पड़ा है, क्योंकि निविदा में अन्य सम्वेदकों द्वारा उद्धृत दर पर कार्य आवंटित किया जाता है तो यह कार्य 601.90 लाख रू० का होता है। बिहार राज्य निर्माण निगम को 3 - 4.5 प्रतिशत ऊपर दर पर आवंटित कार्य का मूल्य 735.60 लाख आंका गया। साथ ही इस सम्बन्ध में वर्ष जुलाई 1986 से प्रपत्र का हवाला देते हुए खुली निविदा की अवस्था में निगम को कोई रियायत नहीं देने एवं कार्य निम्नतम निवेदकों में देने की बात कही गयी है। इस सम्बन्ध में कहना है कि कतरी जलाश्य योजना के लिये कुल नौ समूहों में बांटकर प्राक्कलित राशि पर निविदायें आमंत्रित की गयी, जिसमें अन्य सम्वेदकों की तरह बिहार राज्य निर्माण निगमों ने भी हिस्सा दिया। सिंचाई विभाग के पत्र संख्या 24 दे०सी०पी० 1-1072/85-534 दिनांक 27 जनवरी, 1986 (प्रतिलिपि संलग्न) में यह प्रावधान किया गया कि अगर निर्माण निगम किसी कार्य के लिये निविदा देता है और उसका टेन्डर एमाउन्ट विभागीय सिड्यल्य ऑफ रेट्स से 15.0 प्रतिशत तक कम या 5.0 तक अधिक रहता है तो निगम यदि न्यूनतम निविदादाता नहीं भी हो तो भी वह कार्य निगम को ही निविदित दरों पर आवंटित किया जायेगा।

उक्त कतरी जलाशय योजना के उपरोक्त नौ समूहों के कार्य उपरोक्त आदेश एवं सिंचाई विभाग के पत्रांक 1084 दिनांक 16.10.86 के आलोक में बिहार राज्य निर्माण निगम को आवंटित किया गया, जिस पर सचिवालय स्तर पर विभाग द्वारा सम्यक विचारोपरान्त ही है, बिहार राज्य निर्माण निगम को आंवटित किये गये इस कार्य की स्वीकृति की संसूचना अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, सिंचाई विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक फोल्डर सं० 1849/32पस-13-6069/86 दिनांक 6 जून, 1987 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा दी गयी है।

जहाँ तक मंत्रिमंडल सचिवालय एवं-समन्वय विभाग (गोपनीय कोषांग) का संकल्प संख्या-948 । दिनांक 16 जुलाई, 1986 के कण्डिका 10 (1) के द्वारा उपरोक्त तरह के निर्णय लेने पर रोक का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में कहना है कि वस्तुत: इस संकल्प का प्रचारण (circulation) इस कार्य से संबंधित आवंटन पर निर्णय लेने की तिथि तक तथा उसके बाद भी काफी दिनों तक जल संसाधन विभाग द्वारा नहीं किया और वह पत्र इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ।

ऐसी हालत में निगम को कार्य आवंटित विभागीय प्रचलित नियम एवं प्रावधान के तहत ही किया गया एवं इसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं बरती गयी। निगम एवं राज्य सरकार का ही संस्थान है तथा उसको समुचित मात्रा में कार्य आवंटन हो जाय इस हेतु बाद में विभाग द्वारा यह आदेश निर्गत हुआ कि अनुसूचित दर के ऊपर 5 प्रतिशत की सीमा तक बिना निविदा अभियंत्रण प्राप्त किये कार्य आवंटित किया जाय। इस दृष्टिकोण से भी देखा जाय तो विभाग द्वारा निगम को आवंटित कार्य, अनियमित नहीं माना जा सकता है क्योंकि निगम को आवंटिम कार्य 5 प्रतिशत ऊपर दर के अधीन ही है। निगम को इस तरह से आश्रय देने की बात उपरोक्त संकल्प सं० 948 दिनांक 16.7.86 में भी निहित है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में यह कण्डिका विलोपित करने की अनुशंसा की जाती है।

अनु०:-यथोक्ति ।

(रामनाथ प्रसाद)
मुख्य अभियंता
जल संसाधन विभाग, राँची।

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

आदेश सं० -22/नि.सि. (रा) 15-236 पटना, दिनांक 21.8.98

आदेश

श्री ज्ञानानन्द महाराणा तत्कालीन सहायक अभियंता (यांत्रिक) जल पथ प्रमंडल बून्दू के पदस्थापन अवधि में उनके विरूद्ध प्राप्त आरोपों की जाँच विभागीय उड़नदस्ता से कराई गई। उड़नदस्ता के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर उने विरूद्ध सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावाली के नियम-55 'ए' के तहत् कार्रवाई प्रारम्भ करते हुए विभागीय पत्रांक 2810 दिनांक 1.10.93 द्वारा उनसे स्पष्टीकरण पूछा गया। उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण पर गहन विभागीय जाँच की गई। विभागीय जाँच तथा स्पष्टीकरण पर समीक्षोपरान्त निम्नांकित कारण से उनके विरूद्ध आरोप प्रमाणित पाया गया है :-

(क) श्री रविन्द्र कुमार पाण्डेय, कनीय अभियंता पर पर्याप्त नियंत्रण नहीं रखना तथा सिमेंट के सही भंडारण में रूचि नहीं लेना, जिसके चलते सरकार को भारी वित्तीय क्षति हुई।

अतएव उपरोक्त कारण से श्री महाराणा को दोषी पाये जाने के फलस्वरूप सरकार द्वारा निम्न रूप से दंडित करने का निर्णय किया गया है:-

(क) 'निन्दन' जिसकी प्रविष्टि उनके चारित्री वर्ष 87-88 की जायेगी।

अत: श्री ज्ञानानन्द महाराणा, सहायक अभियंता को उपर्युक्त निर्धारित दण्ड संसूचित किया जाता है।

(अवधेश कुमार)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-1072 पटना, दिनांक 21.8.2000

प्रतिलिपि संयुक्त सचिव (प्रबन्धन कोषांग) उप सचिव प्रबन्धन कोषांग/ अवर सचिव(श्री शर्मा/श्री गुप्ता) जल संसाधन विभाग, पटना/सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी-11,12,22, जल संसाधन विभाग, पटना तथा श्री ज्ञानानन्द महाराणा, सहायक अभियंता (यांत्रिक) द्वारा सचिव (श्री शर्मा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अवधेश कुमार)
सरकार के उप सचिव।

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

आदेश सं० -22/नि.सि. (रा०) 15-235 पटना, दिनांक 21.8.2000

आदेश

श्री नरेन्द्र कुमार सिन्हा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, बुण्डू (सम्प्रति मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग भागलपुर द्वारा प्रमंडलीय भंडार में व्यवहार में अनियंत्रित मात्रा में आवश्यकता से अधिक सिमेंट की आपूर्ति लेने तथा सरकार को भारी वित्तीय क्षति पहुँचाने के आरोप पर श्री सिन्हा के विरूद्ध सिविल सेवा (वर्गीकरण) नियंत्रण एवं अपील (नियमवली) के नियम 55 ए' के तहत की गई कार्रवाई के पश्चात् विभागीय अधिसूचना सं०-2699 दिनांक 27.9.93 द्वारा उन्हें निम्नांकित दं० संसूचित है :-

1. सेट हो गए सिमेंट एवं कम मात्रा में पायी गयी सिमेंट का कुल मूल्य 8,18,607/-रू० की आधी राशि अर्थात् रू० 4,09,303 रूपये मात्र की वसूली उनके वेतन से प्राप्त वेतन के 50 प्रतिशत राशि मासिक किस्तों में की जायेगी तथा शेष राशि की कटौती उनके बकाया राशि तथा सेवा निवृत्ति के उपरान्त उनके उपादान एवं अव्यवहृत अवकाश के पद में प्राप्त राशि से की जायेगी।

2. 'निन्दन' जिसकी प्रशिष्टि उनकी चारित्री वर्ष 1986-87 में की जायेगी।

3. उनकी दो वेतन वृद्धियाँ संचलात्मक प्रभाव से रोक।

श्री सिन्हा द्वारा उपर्युक्त संसूचित दण्ड के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में याचिका सं०सी०डब्लू०जे०सी०न० 12437/93 दायर किया गया, जिसमें माननीय न्यायालय का अन्तरिम आदेश दिनांक 18.3.94 द्वारा रू० 4,09,303.50 को कटौती के दंड को स्थगित रखते हुए आदेश के कार्यान्वयन पर भी रोक लगा दिया गया।

विभाग में श्री नरेन्द्र कुमार सिन्हा से प्राप्त अपील अभ्यावेदन पर सरकार के स्तर पर गहन पुर्नसमीक्षा की गइ।। समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि आवश्यकता से अधिक सिंमेट के लिए व्यादेश करना तथा प्रमंडल एवं भंडार में पर्याप्त मात्रा में सिमेंट रहते हुए भी 25,350 बोरा सिंमेंट प्राप्त करना, जबकि इतने सिंमेट की आवश्यकता नहीं थी।

अतएव सरकार द्वारा उन्हें निम्न रूप से दंडित करने का निर्णय लिया गया है:-

(क) 'निन्दन' जिसकी प्रविष्टि उनके चारित्री वर्ष 87-88 में की जायेगी।

(ख) असंचयात्मक प्रभाव से 2 (दो) वेतन वृद्धि पर रोक।

(ग) 4.08 लाख रूपये के पहले 88,000/-(अठ्ठासी हजार) रूपये की वसूली।

दंड में कमी के कारण :-

(क) 13996 बोरा सिमेंट कम रहने का आरोप इन पर है क्योंकि अन्ततः 2597 बोरा की कमी ही पाया जाना, जिसके लिए जाँच में अन्य कनीय अभियंता को उत्तरदायी पाया जाना।

अतः श्री नरेन्द्र कुमार सिन्हा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, बुण्डू को संसूचित विभागीय अधिसूचना सं०-2099 दिनांक 27.9.93 को निरस्त करते हुए निम्न संशोधन दण्ड संसूचित किया जाता है :-

(क) 'निन्दन' जिसकी प्रविष्टि उनके चारित्री वर्ष 87-88 में की जायेगी।

(ख) 2 (दो) वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

(ग) 88,000/- (अठ्ठासी हजार रूपये की वसूली जो उनके वेतन से प्रति माह 7,000/-रूपये की दर से की जायेगी। सेवानिवृत्त हो जाने की स्थिति में शेष राशि को वसूली उनके पेंशन लाभ से की जायेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(अवधेश कुमार)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-1071 पटना, दिनांक 21-8-2000

प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना/ राँची/संयुक्त सचिव (प्रबन्धन कोषांग)/उप सचिव (प्रबन्धन कोषांग)/ अवर सचिव (प्रबन्धन कोषांग) जल संसाधन, पटना/ सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी 5, 6, 12, 22 जल संसाधन विभाग, पटना तथा श्री नरेन्द्र कुमार सिन्हा, मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अवधेश कुमार)
सरकार के उप सचिव

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

आदेश सं०-22/नि.सि. (रा०) 15-1010/95234

पटना, दिनांक 21.8.2000

आदेश

श्री रविन्द्र कुमार पाण्डेय, तत्कालीन कनीय अभियंता, सिंचाई प्रमंडल बुण्डू (सम्प्रति कनीय अभियंता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल पिपराही शिविर निर्मली को कतिपय अनियमितता के आरोप में विभागीय आदेश सं०-14 दिनांक 22.1.93 द्वारा निलॅम्बित किया गया। श्री पाण्डेय के विरूद्ध विभागीय संकल्प सं०-1179 दिनांक 24.5.93 द्वारा सिविल सेवा (वर्गीकरण नियत्रंण एवं अपील) नियमवाली के नियम 55 के तहत् विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन पर सरकार के स्तर पर समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त उनके विरूद्ध आरोप प्रमाणित पाये जाने के कारण संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से असहमति व्यक्त करते हुए विभागीय पत्रांक 1481 दिनांक 26.7.95 द्वारा उनसे द्वितीय कारण पृच्छा पूछा गया।

इस बीच सरकार के निर्णयानुसार विभागीय आदेश सं० 801 दिनांक 28.8.97 द्वारा उन्हें निलंबन की अवधि दो वर्ष से अधिक हो जाने के कारण निलंबन से मुक्त करते हुए विभागीय कार्यवाही को प्रभावी रखा गया।

श्री पाण्डेय से प्राप्त द्वितिय कारण पृच्छा पर मामले की गहन विभागीय जाँच एवं समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षोपरान्त सरकार द्वारा आरोप प्रमाणित पाये जाने के फलस्वरूप निम्न रूप से दंडित करने का निर्णय लिया गया है:-

(क) 14189 बोरे सेट सिमेंट की कीमत की 75 प्रतिशत की वसूली अर्थात् 4070 लाख 1.15 लाख (नीलामी में प्राप्त) = 3.35 लाख का 3/4=2.66 लाख की वसूली।

13996 बोरा में से 1020 बोरे की कमी के लिए 33.782/-रूपये की वसूली।

यानि कुल 2,99,782/- रू० (दो लाख निनानवे हजार सात सौ बिरासी रूपये) की वसूली।

(ख) निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा, किन्तु इस अवधि की गणना वेतनवृद्धि एवं पेंशन के प्रयोजनार्थ की जायेगी।

(ग) 'निन्दन' जिसकी प्रविष्टि उनके चारित्री वर्ष 87-88 में कीजायेगी।

संचालन पदाधिकारी से असहमति एवं दंड का कारण:-

(क) मुख्य अभियंता के प्रतिवेदन के अनुसार समय पर लेखा समर्पित नहीं करना।

(ख) 13996 बोरा में 1020 बोरा (मूल्य-86013/-रू०) की कमी के लिए जिम्मेवार। अत: संचालन पदाधिकारी का वह कथन मान्य नहीं कि सिमेंट की कमी नहीं। इसके साथ ही मुख्य अभियंता राँची के प्रतिवेदन के अनुसार समय पर सिमेंट का लेखा समर्पित नहीं करना, जबकि बार-बार उच्चाधिकारियों से इसके लिए आदेश मिलना।

(ग) जुलाई 88 में स्थानान्तरण के बाद सेट सिमेंट का प्रभार नहीं देकर अनुशासनहीनता करना जिसके चलते प्रशासन द्वारा गोदाम को सील करना पड़ा।

(घ) भंडारण की सही प्रक्रिया नहीं अपनाना और गोदाम के प्रभारी होने के कारण 14189 बोरा सिमेंट सेट होने के लिए जिम्मेवार। सरकार को सेट सिमेंट से हुई क्षति का मूल्य 4.70 लाख रू०, जिसमें से 1,15,000/-रू० निलामी से प्राप्त होना और उसका 75 प्रतिशत के लिए इन्हें जिम्मेवार ठहराना युक्तिसंगत है। अर्थात् 2.66 लाख की वित्तीय क्षति (सेट सिमेंट) के लिए इनको जिम्मेवार माना जाना।

अत: श्री रविन्द्र कुमार पाण्डेय, कनीय अभियंता को निम्नलिखित दंड संसूचित किया जाता है:-

(क) 2,99,782/- रू०(दो लाख निनानबे हजार सात सौ तिरासी रूपये) की वसूली जो उनके वेतन से प्राप्त वेतन के 50 प्रतिशत राशि मासिक किस्तों में की जायेगी। तथा शेष राशि की कटौती सेवा निवृत्ति के उपरान्त उपादान एवं अव्यवहृत अवकाश के समतुल्य वेतन के मदों में मिलने वाली राशि से की जायेगी।

(ख) निलंबन अवधि का जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा किन्तु इस अवधि की गणना वेतनवृद्धि एवं पेंशन के प्रयोजनार्थ की जायेगी।

(ग) 'निन्दन' जिसकी प्रविष्टि उनके चारित्री वर्ष 87-88 में कीजायेगी।

(अवधेश कुमार)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक - 1170 पटना, दिनांक 21-8-2000

प्रतिलिपि अभियंता प्रमुख जल संसाधन विभाग, पटना/सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग/ अवर सचिव श्री रवीन्द्र कुमार (जल संसाधन विभाग) पटना/ वित्त विभाग(वेतन निर्धारण शाखा) बिहार, पटना /प्रशाखा पदाधि कारी -9,10,13 जल संसाधन विभाग, पटना/ श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय कनीय अभियंता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, पिपराही, शिविर निर्मली/ कनीय अभियंता, बायोडाटा कोपांग, पटना/ अधीक्षण अभियंता, पश्चिमी कोशी नहर अंचल, पिपराही शिविर निर्मली तथा कार्यपालक अभियंता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल पिपराही, शिविर निर्मली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अवधेश कुमार)
सरकार के उप सचिव

बिहार सरकार
जल संसाधन विकास

अधिसूचना

पटना, दिनांक-12.1.1996 ई०।

संख्या-22/नि.सि. (भाग) 9-106/94-48 श्री देवेन्द्र प्रसाद सिंह, अधीक्षण अभियंता (निलम्बित) द्वारा गंगा पम्प नहर अंचल, मुंगेर के पदस्थापन अवधि में वर्ष 1984-97 के दौरान डकरानाला/ सूर्यगढ़ा पम्प नहर परियोजना में, बड़े पैमाने पर सरकारी राशि का गोल-माल किया गया, जिसकी जाँच मंत्री मंडल (निगरानी) विभाग द्वारा करायी गई एवं राशि के गोल-माल से संबंधित आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये जाने के फलस्वरूप श्री सिंह को विभागीय आदेश सं०-103, दिनांक 7.5.92 द्वारा निलम्बित कर विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की गई। जिसके विरूद्ध श्री सिंह ने माननीय उच्च न्यायालय में रिट दायर किया। माननीय उच्च न्यायालय के फैसले के आलोक में, निलम्बन आदेश एवं विभागीय कार्यवाही संबंधी संकल्प को, निरस्त कर दिया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सरकार को यह छूट दी गई थी, कि यदि सरकार चाहे तो श्री सिंह से स्पष्टीकरण प्राप्त कर नियमानुसार कार्रवाई कर सकती है। श्री सिंह से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा की गई एवं आरोप प्रथम द्रष्टया प्रमाणित पाये जाने के कारण, सरकार द्वारा उन्हें विभागीय अधिसूचना संख्या-51, दिनांक 16.6.93 द्वारा पुन: निलम्बित कर विभागीय कार्रवाई प्रारम्भ की गई। श्री सिंह द्वारा पुन: माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या-सी.डब्लू.जे.सी सं.-1375/95 दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 1.8.95 के फैसले के आलोक में विभागीय कार्यवाही हेतु नियुक्त संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच-प्रतिवेदन की प्रति श्री सिंह को उपलब्ध करायी गयी एवं उसकी समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। संचालन पदाधिकारी द्वारा भी श्री सिंह वेदन को प्रतिलिपि विभागीय पत्रांक 2695 दिनांक 11.12.95 द्वारा श्री सिंह को आरोपों के लिए दोषी पाया गया। विभागीय कार्रवाही के अंतिम प्रतिवेदन की प्रतिलिपि विभागीय पत्रांक 2695, दिनांक 11.12.95 द्वारा श्री सिंह को प्रेषित की गई संचालन पदाधिकारी की जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त श्री सिंह 9,28,049=32 रूपये वित्तीय क्षति सरकार को पहुँचाने और कर्त्तव्य एवं दायित्व का सही रूप से निर्वाह नहीं करने, आदि के लिये दोषी पाये गये। अत: सरकार द्वारा उन्हें अधीक्षण अभियंता से कार्यपालक अभियंता के पद पर पदावनति करने एवं वित्तीय क्षति की आधी राशि यानि 4,64,024=76 रू० की वसूली करनेका निर्णय लिया गया। प्रस्तावित दण्ड के लिये श्री सिंह से पुन: विभागीय पत्रांक 2751 दिनांक 20.12.95 द्वारा एक सप्ताह के अन्दर कारण पृच्छा प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया, परन्तु उनके द्वारा लिया गया कि कारण पृच्छा का जबाव देने की आवश्यकता नहीं है। श्री सिंह से कारण पृच्छा का जवाब मान्य नहीं होने के कारण, दण्ड के प्रस्ताव में मंत्रीपरिषद की स्वीकृति एवं गिहार लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त की गई।

तद्नुसार सरकार द्वारा श्री देवेन्द्र प्रसाद सिंह, अधीक्षण अभियंता, गंगा पम्प नहर अंचल (निलम्बित) को निलम्बन से मुक्त करते हुए, निम्नांकित दण्ड संसूचित किया जाता है :-

1. श्री देवेन्द्र प्रसाद सिंह, अधीक्षण अभियंता को कार्यपालक अभियंता के पद पर पदावनति किया जाता है।

2. वित्तीय क्षति की आधी राशि यानि 4,64,024=76 रूपये की वसूली श्री सिंह के वेतन से मासिक रूपया 2,000/-मद पर की जायेगी। अगर इस राशि की वसूली उनके सेवा अवधि के दौरान नहीं हो पाई तो, बकाये राशि की वसूली उनके सेवा निवृत्ति के पश्चात् उनके उपादान एवं अन्य पावना मदों से की जायेगी।

3. निलम्बन अवधि में उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा।

श्री सिंह कार्यपालक अभियंता के पद पर जल संसाधन विभाग(मुख्यालय) पटना में पदस्थापन हेतु योगदान करेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-(रश्मि वर्मा)
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक - 48 पटना, दिनांक- 12.1.1996 ई.

प्रतिलिपि अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह०/-(रश्मि वर्मा)
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक - 48 पटना, दिनांक-12.1.1996 ई.

प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना/ राँची/ श्री देवेन्द्र प्रसाद सिंह, अधीक्षण अभियंता (निलम्बित) मुख्य अभियंता, जल संसाधन, अनिसाबाद, पटना-2, के कार्यालय /संयुक्त सचिव, प्रबंधन कोषांग, जल संसाधन विभाग/ सभी मुख्य अभि०, जल संसाधन विभाग/ सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष / अवर सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय, पटना / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा - 5, 6, 8, 12 एवं 22/- मंत्रीमंडल सचिवालय, बिहार, पटना को दिनांक 9.1.96 को हुए मंत्री परिषद के लिए बैठक की मद संख्या-35 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-(रश्मि वर्मा)
सरकार के विशेष सचिव।

रिशू ऑफसेट, राजापुर पुल, पटना - 1 द्वारा मुद्रित